

**GOVT.
OF INDIA**

**ANNUAL
REPORT
1988-89**

**MIN. OF
FOOD - HOME**

VOL. IV

PE

GOVT. OF INDIA

ANNUAL REPORT

M/o FOOD-HOME

Vol. IV

354.54

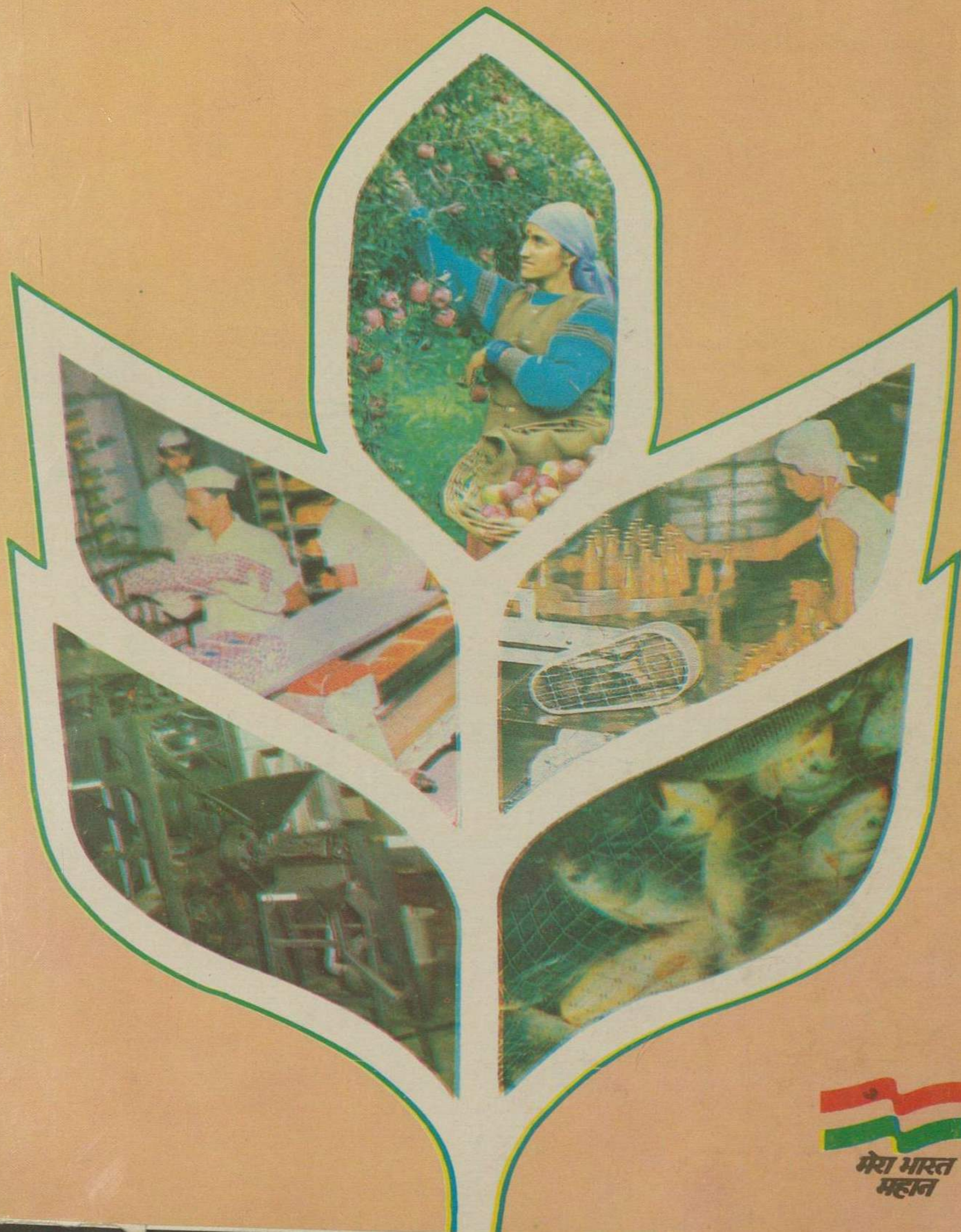
MB, 3

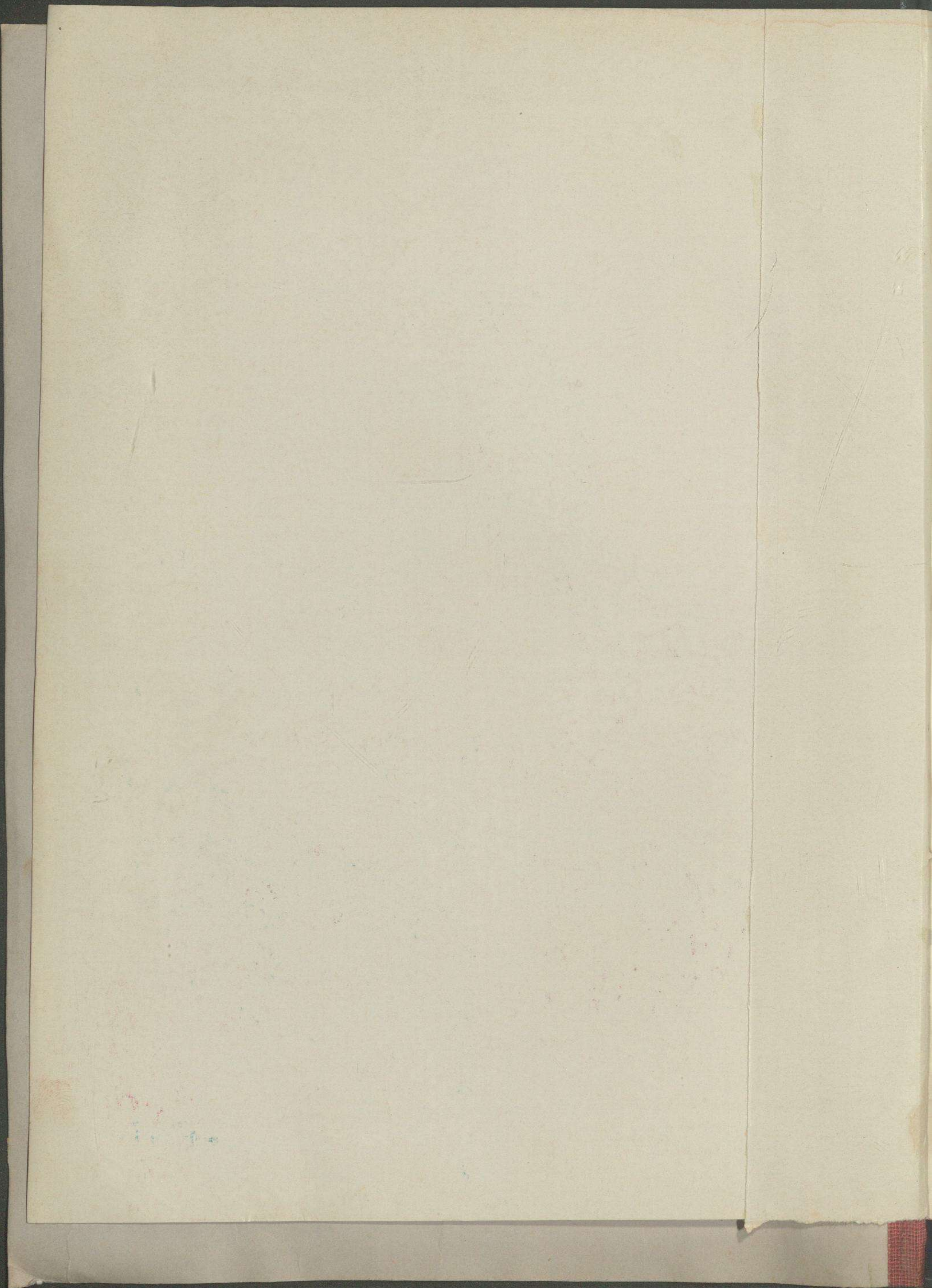
P.L.

वाषक रिपोर्ट 1988-89
भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय



ANNUAL REPORT 1988-89
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FOOD
PROCESSING INDUSTRIES







भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



वार्षिक रिपोर्ट, 1988-89
ANNUAL REPORT 1988-89

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
नई दिल्ली

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES
NEW DELHI.

PARLIAMENT LIBRARY
Central Govts Publications
Acc. No. RC...7.8744(.4)
Date...7/7/1989

विषय वस्तु

विषय	पृष्ठ
1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय-इसकी स्थापना, उपलब्धियां और भावी योजनाएं	1
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य	3
3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल कार्य योजना	4
4. खाद्यान्न मिलिंग उद्योग	7
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	10
6. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	11
7. दूध और दूध के पदार्थ	15
8. मांस और मांस के पदार्थ	17
9. समुद्री सीमा के आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मात्स्यकी	18
10. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	20

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय—इसकी स्थापना, उपलब्धियां और भावी योजनाएं

1. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विकासशील देशों में अपनी किस्म का एक पहला मंत्रालय है। इसकी स्थापना जुलाई, 1988 में किसानों और उद्योग के बीच गतिशील और तुल्यकालिक पाश प्रदान करने के लिए की गई है ताकि कृषि पदार्थों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, ग्रामीण उत्पाद का अधिक मूल्य मिल सके, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन किया जा सके, ग्रामीण आय के निवल स्तर को बढ़ाया जा सके और खाद्य प्रसंस्करण में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सके। इस मंत्रालय का एक अन्य उद्देश्य कटाई से पूर्व और उसके उपरान्त फलों और सब्जियों को सम्भालते समय भारी मात्रा में जो फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं उनके इस्तेमाल को बढ़ावा देना है ताकि खाद्य पदार्थों के लाभकारी इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जनता के लिए अधिक मात्रा में पौष्टिक आदान उपलब्ध किए जा सकें। इस मंत्रालय का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देना है ताकि महिलाओं और युवकों को अपने घरों के पास ही लाभकारी रोजगार मिल सके।

2. इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में जो कुछ विषय आते हैं वे हैं:—फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, खाद्यान्न मिलिंग उद्योग, डेरी पदार्थ, समुद्री मात्स्यकी और मछली तथा कुछ कृषि उत्पादों, पोल्टरी और अण्डों, मांस आदि का प्रसंस्करण करना। यह मंत्रालय कृषि, खाद्य और औद्योगिक विकास विभागों से लिए गए इन विषयों को एक ही स्थान में ले आएगा ताकि एकल खिड़की उद्देश्यों के सिद्धांत को साकार किया जा सके।

3. तकनीकी विशेषज्ञों/अधिकारियों और सचिवालय के केन्द्रक अधिकारियों और स्टाफ को उनके विषयों समेत नये मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। मंत्रालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने तथा इसके लिए निश्चित किए गए कार्यों की योजना बनाने और उसका कार्यान्वयन करने हेतु उसे सुसज्जित करने की दिशा में जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के लिए अलाट किए गए कार्यालय स्थान का रेनोवेशन किया जा रहा है और वह शीघ्र ही तैयार हो जाएगा।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने, इसकी सबलता और दुर्बलता का बारीकी के साथ

विश्लेषण करने, इसके लिए उपलब्ध अवसरों की जांच करने के प्रथम चरण में दिल्ली में 23 जुलाई, 1988 को एक विशाल अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों, उद्योगपतियों, लघु क्षेत्र और अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मंत्रालय ने निर्यात के क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श किया। इन कार्यों के फलस्वरूप मंत्रालय के मुख्य उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों के पैकेज की रूप रेखा तैयार की गई और सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई।

5. इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकारें मंत्रालय की प्रमुख साझेदार होंगी, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को छः जोनों में बांटा गया। मध्य, उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी जोनों के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ अब तक बैठकें की गई हैं, उत्तर-पूर्वी जोन के प्रदेशों के साथ शीघ्र ही बैठकें की जाएंगी। ये बैठकें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्री की अध्यक्षता में हुईं और इनमें राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रियों ने भाग लिया। मंत्रालय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने आवश्यक सहयोग दिया। राज्य सरकारों ने लाभप्रद और व्यावहारिक सुझाव दिए। प्रत्येक राज्य ने अपनी स्थापना में उस नोडल एजेंसी को स्थापित करना स्वीकार कर लिया जिसके साथ केन्द्र मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अनुकूल कार्य योजना को कार्यान्वित करने में ताल मेल रख सकता है।

6. मंत्रालय ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अब तक जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वे हैं:—मिल्क फूड्स, माल्टेड फूड्स और फ्लोर जिनमें लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदें शामिल नहीं हैं, के अलावा सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पैकेजिंग की सभी वस्तुओं को परिशिष्ट-1 के उद्योगों में रखा गया है। इसी प्रकार, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर फल और सब्जी के सभी उत्पादों और सभी संसाधित खाद्य पदार्थों पर ब्राड-बैंडिंग की व्यवस्था को लागू किया गया है। उपकरणों की कई ऐसी मदों को उत्पाद शुल्क की रियायती दर पर खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अधीन रखा गया है, जो देश में उपलब्ध नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता का स्टेट्स प्रदान करने के लिए सरकार के निदेशों को सुदृढ़

करने के उद्देश्य से अन्य वित्तीय प्रोत्साहन विचाराधीन हैं।

7. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में तीन क्षेत्रवार विकास परिषदों का गठन किया गया है। इन परिषदों में प्रबंध विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उपभोक्ता सुरक्षा हितों, टेक्नोलोजिस्ट्स, उद्योग के प्रतिनिधियों और सरकार के विभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन परिषदों की दो बैठकें हो चुकी हैं और इनमें कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की

गई हैं। इन विकास परिषदों के तत्वावधान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संबंध में तथा मंत्रालय को निरंतर आधार सूचना सुलभ करने के लिए विस्तृत रिपोर्टें तैयार करने हेतु दो विशेषज्ञ पैनल गठित किए गए हैं।

8. देश में दोनों इनलैंड और समुद्र में मात्स्यकी क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कृषि और सहकारिता विभाग में एक राष्ट्रीय मात्स्यकी सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है।

— : oOo : —

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ढांचा और कार्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ग्रामीण उद्योगीकरण के कृषि आधारित पैटर्न निश्चित करने के लिए प्रमुख उत्प्रेरक की आवश्यकता को पूरा करेगा जो कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए लाभप्रद रोजगारों की व्यवस्था करने सहित प्रौद्योगिकी अन्तर्गत करेगा, आय पैदा करेगा और अधिक ग्रामीण रोजगार के लिए प्रमुख अवसर पैदा करेगा। यह मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक केन्द्रीय एजेंसी होगा। यह राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालय को आबंटित किए गए विशिष्ट उद्योगों के संबंध में औद्योगिक नीति भी तैयार करेगा और उसका कार्यान्वयन करेगा। विदेशी सहयोग और प्रमुख सामान का आयात करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार करने में यह मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

2. मंत्रालय के कार्य मुख्य रूप से इस प्रकार विभक्त किए जा सकते हैं: (1) विकासात्मक (2) विनियामक और (3) तकनीकी तथा सलाहकारी। ये कार्य मंत्रालय में विषय-विशेषज्ञों और इसके फील्ड संगठन के माध्यम से किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के दो प्रतिष्ठान अर्थात् माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि० और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि० जो कि मात्र खाद्य प्रसंस्करण और विपणन से संबद्ध हैं, को 31.10.1988 से मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में अन्तर्गत कर दिया गया है।

3. मंत्रालय इस समय कृषि और सहकारिता, और खाद्य विभागों से विषयों समेत स्थानान्तरित सीमित स्टाफ से कार्य कर रहा है। पूरे सचिवालय स्टाफ को तैनात करने में कुछ समय लगेगा।

— : oOo : —

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल कार्य योजना

इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित उद्योग/गतिविधियां आती हैं :

- (1) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (फ्रिजिंग और डीहाइड्रेशन सहित)
- (2) खाद्यान्न मिलिंग उद्योग
- (3) दूध का पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कांडेस्ड दूध, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद
- (4) पोल्टरी और अण्डो, मांस और मांस के उत्पादों का प्रसंस्करण तथा रेफ्रीजरेशन
- (5) मछली का प्रसंस्करण (डिब्बाबंदी और फ्रीजिंग सहित)
- (6) मछली प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विकास परिषद् की स्थापना और व्यवस्था।
- (7) मछली प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और परामर्श
- (8) समुद्री सीमा से आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मत्स्यकी।
- (9) ब्रेड, तिलहनों, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट कन्फैक्शनरी (कोको प्रसंस्करण और चाकलेट उत्पादन सहित), माल्ट एक्सट्रेक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, हाई प्रोटीन फूड, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थों (अन्य तैयार खाद्य पदार्थों सहित) से संबंधित उद्योगों के लिए योजना तैयार करना, उनका विकास करना, उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें सहायता प्रदान करना
- (10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग
- (11) गैर-एल्कोहलिक बीयर सहित बीयर
- (12) गैर-शीर के बेस से एल्कोहलिक पेय
- (13) वातित जल/साफ्ट ड्रिक्स।

2. देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के वर्तमान स्टेटस की बारीकी के साथ अध्ययन करने के प्रथम तर्कसंगत कदम के रूप में इसकी प्रबलता और दुर्बलता की पहचान करने, उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखने, चुनौतियों का सामना करने के लिए तौर-तरीके तैयार करने, अन्तर्ग्रस्त सामाजिक और इक्विटी की समस्याओं को समझने और कार्य करने के लिए ठोस एजेन्डा तैयार करने के उद्देश्य से 23 जुलाई, 1988 को एक विशाल अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में उद्योग, अर्थशास्त्रियों, अनुसंधान संस्थानों और बुद्धिजीवियों के सभी वर्गों ने भाग लिया था।

3. विशाल अधिवेशन में प्रकट किए गए विचारों और इस संबंध में आगे की गई कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए उपायों के एक पैकेज को स्वीकृति प्रदान की। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) क्योंकि इस मंत्रालय को ग्रामीण आय बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार में मात्रात्मक वृद्धि करने का कार्य सौंपा गया है इसलिए कुटीर तथा लघु उद्योगों और ग्रामीण सहकारी समितियों पर प्रमुख रूप से जोर दिया जाएगा। ये उद्योग देशी उत्पादों का निर्माण करने के लिए पूर्व-प्रसंस्करण केन्द्रों और छोटे स्वतंत्र यूनिटों के रूप में कार्य करेंगे जो न केवल ग्रामीण मंडियों बल्कि शहरी क्षेत्रों की अचार, मुरब्बा, पापड़, स्नैक फूड जैसे सुकड़ी, मुरमुरा, सेव आदि जैसी वस्तुओं की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। अतः उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपना कर कुटीर और लघु यूनिटों का विकास किया जा सकता है जिसके लिए देश में अत्यधिक मजबूत आधार उपलब्ध है।

(2) ग्रामीण जनसंख्या देश में कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत है जो कृषि में लगी हुई है। ये धंधे मौसमी होने के कारण इस जनसंख्या की बहुत अधिक प्रतिशतता गरीबी की रेखा के नीचे है। अतः ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण आय में वृद्धि सुनिश्चित करने की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे आय के स्तर में पर्याप्त बढ़ोतरी हो जाएगी और शहरों में प्रवर्जन को रोका जा सकता है।

(3) अनुमान है कि कटाई बाद सम्भालने की अपर्याप्त व्यवस्था होने और प्रसंस्करण तथा ताजे फलों और सब्जी-मंडियों के साथ सम्पर्क के अभाव में प्रत्येक वर्ष 3000 करोड़ रुपये के मूल्य के फल और सब्जियाँ बर्बाद हो जाती है। यह देखना हमारी अर्थ व्यवस्था के हित में है कि ऐसी हानियों की रोकथाम की जाती है और प्रसंस्करण यूनिटों को पर्याप्त कच्चा माल दिया जाता है जिनकी क्षमता 38 प्रतिशत के आस-पास है। उपभोक्ताओं के लिए ताजे फलों और सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है जिससे जनसंख्या के कमजोर वर्गों के लिए पोषाहार सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है।

(4) पैकेजिंग और परिरक्षण समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परिशिष्ट 1 में रखा जाएगा। इससे बड़े घरानों को परिमाणमूलक सुलाभ प्राप्त करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद मिलेगी और कटाई बाद हानियों को भी रोका जा सकेगा जो आज कृषि का आधार हैं। तथापि, यह देखने के लिए आवश्यक प्रभावी पग उठाने होंगे कि इस प्रक्रिया में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और लघु क्षेत्र पर बुरा असर नहीं पड़ता है। इस योजना में उनके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(5) परिमाणमूलक सुलाभ प्राप्त करने और उत्पादन का ऊँचा स्तर प्राप्त करने, उपलब्ध आधारिक ढाँचे का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा इस समय लघु उद्योगों के लिए उपलब्ध है।

(6) खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग और परिरक्षण उद्योगों को कच्चे माल और तैयार माल को भी लम्बे समय के लिए गोदामों में रखना होगा क्योंकि कच्चा माल केवल मौसम विशेष में उपलब्ध होता है। इसके परिणामस्वरूप, उनकी कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक है। अतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बैंक वित्त के प्रयोजन के लिए उच्च अग्रता क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

(7) प्रसंस्करण यूनिटों को कच्चे माल के प्रावधान के लिए आश्वासित आधार की आवश्यकता है। प्रसंस्करण उद्योग कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ बना कर कच्चा माल प्राप्त करने में समर्थ होगा। उन्हें आवश्यक रूप से विस्तार सेवाएं, बीज, उर्वरक आदि सुलभ

करने होंगे ताकि वे कच्चे माल की समुचित सप्लाई के लिए आश्वासित हो सकें। ये प्रसंस्करण यूनिट निदर्शन प्रयोजनों के लिए कुछ भूमि भी प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, यह भूमि रखना देश में मौजूदा भूमि अधिकतम सीमा के अर्न्तगत होगा।

(8) उन्हें सभी आदान उपलब्ध करने और इस तरह उत्पादित समूची मात्रा को बहुत ही पहले निर्धारित मूल्य पर खरीदने के लिए उत्पादकों की सहकारी समितियों का गठन करना भी व्यवहार्य होगा। ऐसी सहकारी समितियाँ बनाते समय कच्चे माल के प्रावधान के प्रयोजन के लिए उन्हें विदेशी सहयोगियों का उपयोग करने और अन्ततः 100 प्रतिशत निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी।

(9) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आज सर्वोत्कृष्ट क्षेत्र माना जाता है। इसके फलस्वरूप, उन पर बहुत भारी कर और शुल्क लगाए गए हैं। अतः विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के समय परामर्श करने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन सुलभ किए जाएंगे।

(10) कच्चे माल और तैयार उत्पादों के परिरक्षण के लिए शीत गोदामों में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ यथोचित विचार-विमर्श करने के बाद उद्योग पर लगे शुल्क और अन्य उपकर फिर से निर्धारित किए जाएंगे क्योंकि ये कर इस उद्योग के लिए सहायक नहीं हैं। नये शीत भण्डारण को प्रोत्साहित करते समय, छोटे किसानों की आवश्यकताओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी।

(11) देश में मछली पालन उद्योग के बारे में समग्र नीति ढाँचा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

(12) हमारे उत्पादों के निर्यात के लिए एयर इण्डिया जैसे राष्ट्रीय वाहनों में स्थान की अनुपलब्धता और नौवहन भाड़े की ऊँची लागत, यदि भारतीय शिपिंग कारपोरेशन को यह कार्य सौंपा जाता है, के कारण कई क्षेत्रों में चिन्ता व्यक्त की गई है। संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए रियायती भाड़ा रखने के लिए “ओपन स्काई नीति” अपनाई जाएगी। इसके लिए विदेश के भाड़ा वाहकों तथा भारतीय वाहकों को अपने एक सरकुलर रूटों में भारतीय बन्दरगाहों को छूने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(13) पूँजीगत उपकरणों और प्रोसेस टेक्नोलाजी दोनों के लिए अद्यतन टेक्नोलाजी आयात करने की अनुमति दी जाएगी। आवृत्ति आयातों की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब देश में ऐसे माल की उपलब्धता है तो ऐसे आयातों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बीच में, टेक्नोलाजी अपनाने और खपाने के लिए स्वदेशी क्षमताओं का विकास करने की भी कोशिश की जाएगी।

(14) विदेशों में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि खाद्य उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ये संयुक्त उद्यम अपने अर्ध संसाधित खाद्य पदार्थों का निर्यात, उनका आगे प्रसंस्करण और उन देशों में विपणन कर सकते हैं।

(15) कुछेक विदेशी कम्पनियों के पड़ोसी देशों में अच्छे ब्रांड प्रसिद्ध हैं। हम ऐसी विदेशी कम्पनियों को अपने ब्रांड नामों से हमारे संसाधित खाद्य पदार्थों को बेचने की अनुमति देकर अपने संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात के अवसर खोजेंगे। इसके फलस्वरूप विदेशी कम्पनियों द्वारा उन देशों में ब्रांड नाम का लाभ उठाकर हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

(16) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे उद्यमों में बड़े घरानों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। गहरे समुद्र में मछली क्षेत्र में भारी पूँजी निवेश होने और निवेश पर लाभ बहुत धीमे होने की दृष्टि में उन्नत देशों द्वारा सुलभ टेक्नोलाजी का उपयोग कर इस क्षेत्र में बड़े घरानों को प्रवेश करने की अनुमति देना आवश्यक पाया गया था। हमारे इस एकल आर्थिक क्षेत्र में लगी भारी पूँजी का शोषण नहीं हुआ।

(17) गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं का दर्जा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए उन्हें विश्लेषण के लिए आधुनिक उपकरण और कुशल स्टाफ दिया जाएगा जो इन प्रयोगशालाओं को चलाएंगे।

(4) राज्य सरकारों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर/और कच्चा माल मुहैया कने के लिए भूमिका अदा करनी होगी। राज्यों में इस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करने की दृष्टि में राज्य सरकारों से अलग नोडल एजेंसिया स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों की तरफ से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई है। ऐसे राज्यों में जहां पहले ही खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सकारात्मक कार्य किया जा चुका है, उन राज्यों में राज्य

सरकारों के परामर्श से यदि प्रमुख कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं तो उससे काफी लाभ होगा। इस संबंध में कुछ राज्यों के साथ समन्वय कार्य शुरू कर दिया गया है।

(5) राज्यों के छोटे-छोटे समूह बनाकर राज्य सरकारों के साथ मंत्री स्तर पर बैठकें कर ली गई हैं। अब तक मध्य, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी जोनों में स्थित राज्यों के साथ बैठकें हुई हैं। इसी प्रकार की बैठकें उत्तर-पूर्वी जोन के राज्यों के साथ भी शीघ्र की जाएंगी। इन बैठकों में राज्य सरकारों द्वारा जो कार्रवाई की जानी है उसकी पहचान करने का मूल्यवान सुअवसर प्राप्त हुआ। जिन जोनों में विशेष रूप से कार्य करना अपेक्षित है, वे निम्नानुसार हैं :—

1 प्रत्येक राज्य में डेटा बेस तैयार करना और उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर की डाइरेक्टरी तैयार करना।

2 ऐसी परियोजनाओं की पहचान करना जिनके लिए राज्यों के नोडल अधिकारी राज्य औद्योगिक वित्त निगम और राज्य की अन्य एजेंसियों की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

3 प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैदा किए जा रहे कच्चे माल विशेषतया फलों और सब्जियों की पैदावार करने वाली फसलों की बागान की फसलों के रूप में घोषणा करना अथवा वैकल्प में राजकीय खेतों में कच्चे माल की बड़े पैमाने पर उपज करना: और

4 बिक्री कर और चुंगी शुल्क के ढांचे को युक्तियुक्त बनाना। प्रत्येक राज्य से प्राप्त सुझावों की सरकार द्वारा स्वीकृत उपायों के पैकेज के व्यापक ढांचे के अन्दर रहते हुए जांच की जाएगी और उन पर उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(6) विभिन्न स्तरों पर अब तक किए गए कार्यों के फलस्वरूप यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण रोजगार पैदा करने तथा ग्रामीण आबादी के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने में खाद्य प्रसंस्करण सैक्टर भारी आशा बंधाता है। राज्य सरकारों के साथ तालमेल से ठोस प्रयास करने से ही मंत्रालय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

खाद्यान्न मिलिंग उद्योग

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

1.1 चावल मिलिंग उद्योग अधिनियम, 1958 में उपयुक्त संशोधन कर देश में चावल मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य 1970 में अच्छी किस्म के चावल की अधिक प्राप्ति और खाद्य तेल निकालने और ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त बेहतर किस्म की ब्रान और हस्क का उत्पादन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आधुनिकीकरण के पहले चरण में शेलर, शेलर-एवं-हलर और बहुहलरों को लिया गया था। 1977 में सिंगल हलर यूनियों को भी आधुनिकीकरण के उपबंधों के अंतर्गत लाया गया। तथापि, सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण में निहित विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, 27 जुलाई, 1984 तक विद्यमान हलरों को आधुनिकीकरण की शर्त से मुक्त कर दिया गया था। यह ढील अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत उल्लिखित कुछ श्रेणियों की मिलों को छोड़कर उपर्युक्त तारीख के बाद स्थापित किए गए नये सिंगल हलर यूनियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। हलर मिलों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने विषयक एक हलर सब्सिडी स्कीम छः राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की जा रही है।

1.2 राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के जरिये आधुनिकीकरण की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा किए गए सतत प्रयासों के कारण, आधुनिक, आधुनिकीकृत चावल मिलों की संख्या में वृद्धि हुई है जो 1970 में शून्य से बढ़कर लगभग 24,500 हो गई है।

अनुसंधान और विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण

2. कानूनी उपायों के अलावा सरकार अपने दो अनुसंधान केन्द्रों अर्थात् भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी सेंटर तथा धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, थंजावूर (तमिलनाडु) के जरिये अनुसंधान और विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियां प्रायोजित कर रही है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) और पश्चिम बंगाल के राज्यों में स्थापित नौ क्षेत्रीय विस्तार सेवा

केन्द्रों के बिछे जाल के माध्यम से चावल मिल आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

सहायक अनुदान

3. चावल मिलों के आधुनिकीकरण की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न संस्थानों को सहायक अनुदान दिए जा रहे हैं। ये सहायक अनुदान मुख्यतया अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, चावल मिलिंग उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित विस्तार और प्रशिक्षण कार्यों तथा सह-उत्पादों के बेहतर इस्तेमाल के लिए दिए जाते हैं। वर्ष के दौरान जिन संगठनों को सहायक अनुदान दिए गए हैं और उनके द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की स्थिति संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में दी गई है।

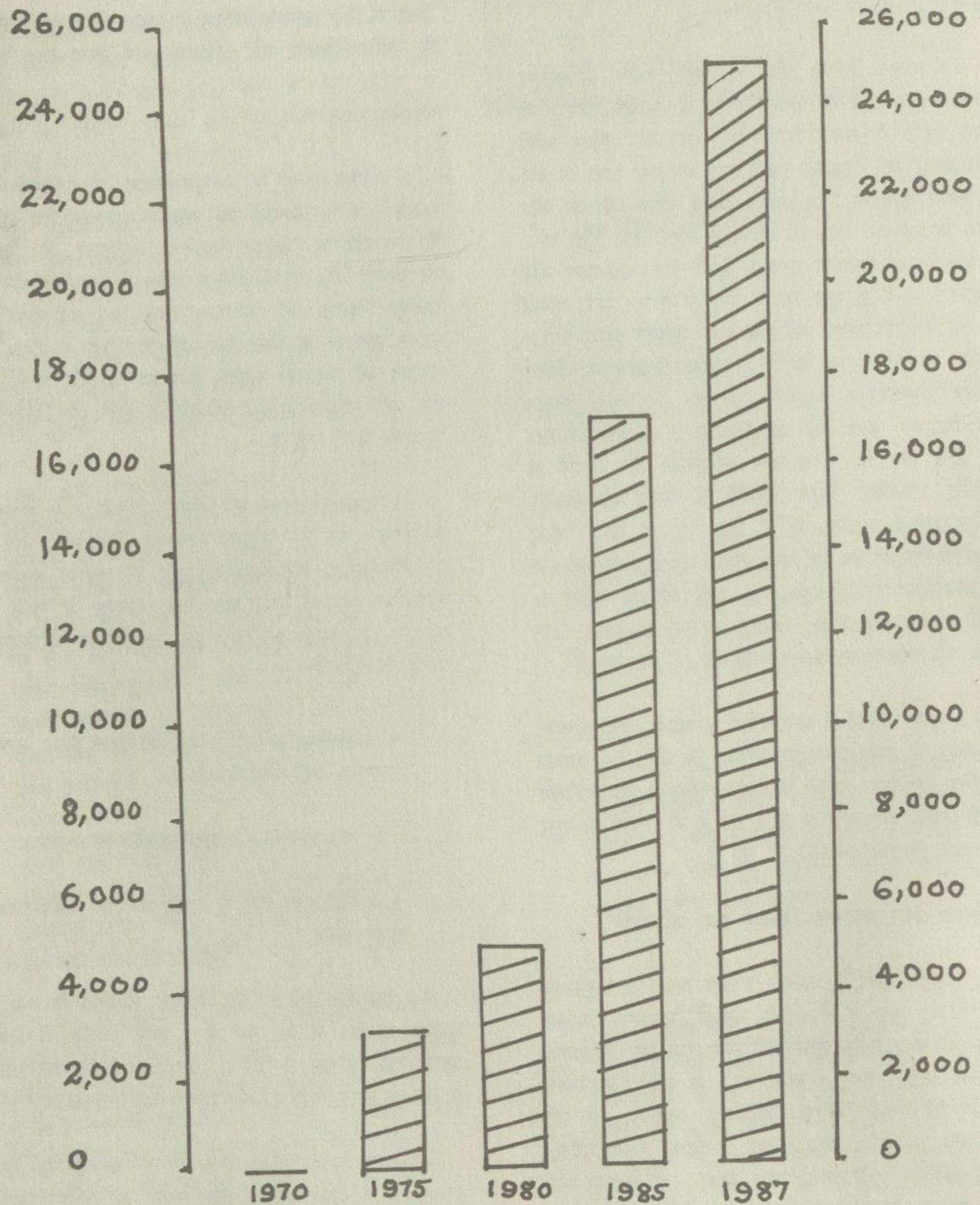
4.1 चावल विधायन के विभिन्न पहलुओं और सहोत्पादों के उपयोग जैसे कि सुखाने, भण्डारण, सेलीकरण, मिलिंग, ब्रान स्थिरीकरण, तेल निस्सारण आदि पर मूलभूत अनुसंधान कार्य धान विधायन अनुसंधान केन्द्र, थंजावूर में किया जा रहा है। इस समय इस केन्द्र द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:—

- (1) अधिक नमी वाली धान को हैंडल करना, उसका परिरक्षण और विधायन।
- (2) कम एफ० एफ० ए० राइस ब्रान तेल का उत्पादन।
- (3) पैडी हस्क ऐश से कपड़े धोने का सस्ता साबुन तैयार करना।

4.2 इस केन्द्र की स्थापना पंजीकृत सोसाइटी के रूप में दिसम्बर, 1984 में की गई थी। इसने थंजावूर में स्थित अपनी नयी बिल्डिंग में दिसम्बर, 1987 में शिफ्ट कर लिया था और वह अपना अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखे हुए है।

4.3 धान विधायन अनुसंधान केन्द्र, थंजावूर के लिए 1988-89 के दौरान 20.00 लाख रुपये का अनुदान निर्मुक्त किया गया है।

आधुनिक/आधुनिकीकृत
चावल मिलों की संख्या
(31.3.1987 की स्थिति के अनुसार)



4.4 भारतीय औद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलाजी केन्द्र इंजीनियरों, तकनीशियनों, आपरेटरों आदि के लिए चावल और अन्य अनाजों के विधायन संबंधी पोस्ट हार्वेस्ट के पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं सुलभ करता है। यह केन्द्र पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलाजी के उच्चतर स्तर में एम० टेक०, पी० एच० डी० और डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रम और निम्नतर स्तर पर चावल मिलिंग में अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाता है। इस केन्द्र में कोलम्बो योजना और विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता योजना (स्काप) के अन्तर्गत विदेशी नागरिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इस केन्द्र में इस समय 8 व्यक्ति एम० टेक०, 18 पी० एच० डी० और दो डाक्टरोत्तर पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब तक तीन अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 54 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अध्यापन गतिविधियों के अलावा यह केन्द्र चावल विधायन, सहोत्पादों के उपयोग आदि से संबंधित इंजीनियरिंग पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य में भी लगा हुआ है। "मिदनापुर जिला (पश्चिम बंगाल) में धान/चावल की वसूली, विधायन, भाण्डागारण और विपणन में अनुकूलतम अध्ययन" प्रगति पर है। एम० टेक० और पी० एच० डी० के छात्रों को अनुसंधान परियोजनाएं भी सौंपी जाती हैं। आठ एम० टेक और 11 पी० एच० डी० परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

4.5 वर्ष के दौरान इस केन्द्र के लिए 20.45 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

4.6 विभिन्न धान उत्पादक राज्यों में अब तक कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों आदि के अधीन नौ क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र सेमिनारों, प्रदर्शन कार्यक्रमों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, तकनीकी मार्गदर्शन, फिल्मों, इश्टिहारों आदि के जरिये प्रचार के माध्यम से चावल मिलों के आधुनिकीकरण और सहोत्पादों के बेहतर उपयोग विषयक कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। इन केन्द्रों के लिए मंत्रालय पांच वर्ष की अवधि के लिए धनराशि देता है और उसके बाद इन्हें इनके मूल संस्थानों को सौंप दिया जाता है। ये नौ केन्द्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (दो केन्द्र) और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (एक केन्द्र) और पश्चिम बंगाल में स्थापित केन्द्र अपनी गतिविधियां आगे भी जारी रखने के लिए 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद संबंधित मूल संगठनों को सौंप दिए गए हैं।

4.7 1988-89 के दौरान इन केन्द्रों के लिए 12.00 लाख रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है।

4.8 आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के छः राज्यों में "सिंगल हलरों के

आधुनिकीकरण" की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ताकि हलरों का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत 300 हलर यूनितों को अपने-अपने हलरों का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रत्येक को 7,500 रुपये की राज सहायता दी जाती है। राजसहायता की दी जाने वाली राशि को केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच बराबर बांटा जाता है। अब तक इन छः राज्यों में 438 हलरों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। वर्ष के दौरान 80 यूनितों को राजसहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 6 लाख रुपये का अनुदान/ऋण दिया गया है।

4.9 देश में बढ़िया किस्म की चावल मिल मशीनरी और सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोयम्बटूर, खड़गपुर और कानपुर में क्रमशः दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में तीन परीक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये केन्द्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चावल मिल-मशीनरी की जांच का कार्य करते हैं, मौजूदा मशीनरी में सुधार करने के बारे में सुझाव देते हैं, निर्यातकों और मिल-मालिकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, मशीनरी के चयन, परिचालन और परिरक्षण के बारे में प्रशिक्षण देते हैं।

4.10 वर्ष के दौरान इन केन्द्रों को 2.93 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था।

गेहूं रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग

5. देश में गेहूं के उपयोग के लिए रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग सबसे बड़ा संगठित क्षेत्र है। इस उद्योग पर नियंत्रण के बारे में उदार नीति जो वर्ष 1986-87 में शुरू की गई थी इस वर्ष भी जारी रही। लेकिन दस लाख से अधिक जनसंख्या के शहर के मानक शहरी क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित यूनित या जिन्हें स्थापित करने का प्रस्ताव है, उन यूनितों अथवा 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर की नगरपालिका सीमा के अंदर अथवा औद्योगिक उपक्रम एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की परिधि में आते हैं, उन यूनितों को छोड़कर नई रोलर फ्लोर मिलों की स्थापना या मौजूदा यूनितों की क्षमता का विस्तार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गेहूं के उत्पादों के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। गेहूं के उत्पादों के मूल्य और वितरण पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। लाइसेंसशुदा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रोलर फ्लोर मिलों को लाइसेंस शुदा क्षमता के 150 प्रतिशत गेहूं पीसने की अनुमति है। यद्यपि रोलर फ्लोर मिल किसी भी स्रोत से अपनी आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं फिर भी उन्हें भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध स्टॉक से सरकार द्वारा गेहूं की खुली बिक्री के लिए निर्धारित मूल्यों पर निगम द्वारा गेहूं दिया जाता रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अनुसूची 27(5) के अन्तर्गत आने वाले संसाधित खाद्य पदार्थों को उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में कुछेक शर्तें पूरी करने पर मार्च, 1985 में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था जो कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की परिधि में नहीं आते हैं। कुछेक शर्तें पूरी करने के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की कम्पनियों के मामलों में भी इन्हें अक्टूबर, 87 में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बन जाने से दुग्ध खाद्य पदार्थों, माल्टेड फूड्स और फ्लोर (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर) के अलावा तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए पैकेजिंग की सभी मदों (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर) को परिशिष्ट-1 के उद्योगों में रखा गया है।

2. संसाधित खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने के लिए मूल कच्चा माल देश में ही उपलब्ध है। कृषि क्षेत्र में असाधारण रूप से वृद्धि और विस्तार होने के कारण इस क्षेत्र से अधिशेष उत्पादन का प्रभावकारी रूप से उपयोग करने की आवश्यकता बढ़ गयी है। संसाधित खाद्य पदार्थों की मांग देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही है।

3. कुछ महत्वपूर्ण प्रसंस्करण खाद्य उद्योग—तैयार एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थ, सोयाबीन के उत्पाद, कोको के उत्पाद और अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ। इन उद्योगों की स्थिति संक्षेप में नीचे दी गई है :—

(1) तैयार एक्सट्रूडेड खाद्य पदार्थ

इस समय संगठित क्षेत्र में पांच यूनिट हैं जिनकी नूडल्स मेकारोनी, संवईयां आदि जैसे पास्ता पदार्थों का उत्पादन करने के लिए वार्षिक स्थापित क्षमता 33,400 मीटरी टन है। इसके अलावा, कार्न फ्लैक्स, ओट फ्लैक्स, पर्ल बालें, आदि

का उत्पादन करने के लिए 10 यूनिट हैं जिनकी वार्षिक स्थापित क्षमता, 9,340 मीटरी टन है। पिछले दो वर्षों में किए गए उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

1987-88	12,612 मीटरी टन
1988-89	13,739 मीटरी टन
(अनुमानित)	

(2) सोयाबीन के उत्पाद

सोया के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने के लिए संगठित क्षेत्र में 3 यूनिट हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 3.42 लाख मीटरी टन है।

(3) कोको के उत्पाद

इस समय 19 यूनिट हैं जो कि चाकलेट, ड्रिंकिंग चाकलेट, कोको बटर एवजी और कोको आधारित माल्टेड दुग्ध आहार जैसे, कोको के पदार्थों का उत्पादन करने में कार्यरत हैं। इनकी वार्षिक क्षमता 33,985 मीटरी टन है। पिछले दो वर्षों में निम्नानुसार उत्पादन हुआ :—

1987-88	8,720 मीटरी टन
1988-89	35,855 मीटरी टन
(अनुमानित)	

(4) अधिक प्रोटीन युक्त आहार

संगठित क्षेत्र में 9 यूनिट हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 13,610 मीटरी टन है। पिछले दो वर्षों के दौरान निम्नानुसार उत्पादन हुआ :—

1987-88	7,750 मीटरी टन
1988-89	8,137 मीटरी टन
(अनुमानित)	

फल तथा सब्जी प्रसंस्करण

उपलब्ध खाद्य पदार्थों के संरक्षण और उनके प्रभावी उपयोग तथा भोजन संबंधी आदतों में भी विविधता लाने में प्रसंस्करण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। खाद्य फसलों की बर्बादी/हानि को कम करने के अलावा यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर ग्रामीण आय के निवल स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करता है। प्रसंस्करण कृषि उत्पादों के लिए मांग के आधार में विस्तार करता है और इस प्रकार कृषि के उत्पादों के मूल्य और उनसे आय को स्थिर करने में मदद करता है। फल और सब्जी प्रसंस्करण में नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधार गतिविधि है और तदनुसार यह विषय खाद्य विभाग से इस मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया है।

स्थापित क्षमता और उपयोग

2. देश में फलों और सब्जियों के वार्षिक उत्पादन का मौजूदा स्तर अनुमानतः लगभग 700 लाख मीटरी टन है जिसमें आलुओं जैसी जड़ों वाली फसलें शामिल हैं। फल और सब्जी विधायन उद्योग की कुल स्थापित क्षमता में पिछले कई वर्षों से निरन्तर वृद्धि होती रही है और इस क्षमता के दिसम्बर, 1988 के अन्त में 5.99 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। प्रमुख संसाधित मर्दे इस प्रकार हैं—फल रस और गूदा, फलों के तैयार पेय (फल आधारित पेय), डिब्बा बन्द फल और सब्जियां, जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, चटनी, परिरक्षित और मीठे फल, शर्बत, निर्जलीकृत सब्जियां और टमाटर के पदार्थ। प्रोजेन सब्जियों, प्रोजेन पल्प, फ्रीज सूखी सब्जियों, फ्रूट जूस सांद्रण, फ्रूट बार और टमाटर पेस्ट जैसे उत्पादों का निर्माण भी होने लगा है।

निर्यात

3. जनवरी से दिसम्बर, 1988 के दौरान 59.89 करोड़ रुपये के मूल्य के 49,389 मीटरी टन फल और सब्जी उत्पादों का निर्यात किया गया था। निर्यात की प्रमुख वस्तुएं फलों का रस, गूदा, जैम, अचार और चटनी, डिब्बा बन्द फल और सब्जियां, सांद्रित गूदा तथा जूस, निर्जलीकृत सब्जियां, प्रोजेन फल, पल्प और फ्रीज-सूखी हरी मिर्च थी।

विनियमन और नियंत्रण

4.1 मंत्रालय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए फल उत्पाद आदेश, 1955 का संचालन करता रहा। इस आदेश में फल और सब्जी के उत्पादों के उत्पादन और विपणन के बारे में गुण नियंत्रण के लिए उत्पाद विनिर्दिष्टियां और अन्य अपेक्षाएं दी गई हैं। इस आदेश के अधीन लेबल लगाने और विपणन संबंधी अपेक्षाओं का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना है। इस आदेश के दायरे के अंतर्गत आने वाली सभी फैक्ट्रियों को एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। यह लाइसेंस परिसर का निरीक्षण करने के बाद प्रदान किया जाता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि यह परिसर आदेश के उपबंधों के अनुरूप है। मंत्रालय के तकनीकी स्टाफ द्वारा समय-समय पर फैक्ट्रियों का यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया जाता है कि वे गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियों के अनुपालन और सफाई तथा स्वच्छता रखने की ओर ध्यान देती हैं। आदेश में निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुसार उत्पादों की किस्म की जांच करने के लिए फैक्ट्रियों और बाजार दोनों से नमूने लिए जाते हैं। आदेश के अधीन लाइसेंसशुदा यूनिटों की कुल संख्या 31-3-1988 के 3180 से बढ़कर 31-12-1988 को 3,367 हो गई थी। अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान 247 लाइसेंस दिए गए और 60 लाइसेंस रद्द किए गए थे। जनवरी से मार्च, 1988 की अवधि के दौरान भी 397 लाइसेंस रद्द किए गए।

4.2 फल तथा सब्जी उत्पादों के निर्यात का विनियमन निर्यात (गुण नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन किया जाता है। जिन फल उत्पादों का निर्यात करना होता है उनका जहाज पर लदान करने से पहले निरीक्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए विश्लेषण हेतु नमूने लिए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये उत्पाद फल उत्पाद आदेश/क्रेता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप हैं। निर्यात के लिए अभिप्रेत फलों के रस और गूदे के मामले में उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्लांट के अंदर भी निरीक्षण किया जाता है। विनिर्दिष्टियों के अनुरूप पाये गए नमूनों के बारे में गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। निर्यात से पूर्व उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के

लिए अप्रैल से दिसम्बर, 1988 के दौरान 22,589 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

राज्य सरकारों/सहकारी उपक्रमों को वित्तीय सहायता

5.1 मंत्रालय की एक योजना स्कीम है जिसके अधीन राज्य सरकारों/सहकारी उपक्रमों को समन्वित आधार पर फल तथा सब्जी प्रसंस्करण के लिए इक्विटी सहभागिता और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अधीन बिहार सरकार के एक उपक्रम—बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम को 119 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। (इक्विटी के रूप में 49 लाख रुपये और दीर्घकालिक ऋण के रूप में 70 लाख रुपये)। बिहार सरकार द्वारा यह निगम कम्पनी अधिनियम के अधीन 8 अक्टूबर, 1980 को एक सरकारी कम्पनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी अधिकृत अंशपूंजी 50 लाख रुपये थी जिसे बाद में बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया था। निगम के फलों और सब्जियों का समेकित उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन करने के लिए एक समेकित कृषि-औद्योगिक काम्प्लैक्स के एक अंग के रूप में हाजीपुर में एक फल तथा सब्जी प्रसंस्करण प्लांट लगाया है। इस प्लांट ने

1985-86 में उत्पादन शुरू कर दिया था। निगम ने अप्रैल से दिसम्बर, 1988 के दौरान 26 मीटरी टन टमाटर उत्पादों, लगभग एक टन लीची के उत्पादों और 3 टन बेल नेक्टर और बेल पल्प का उत्पादन किया।

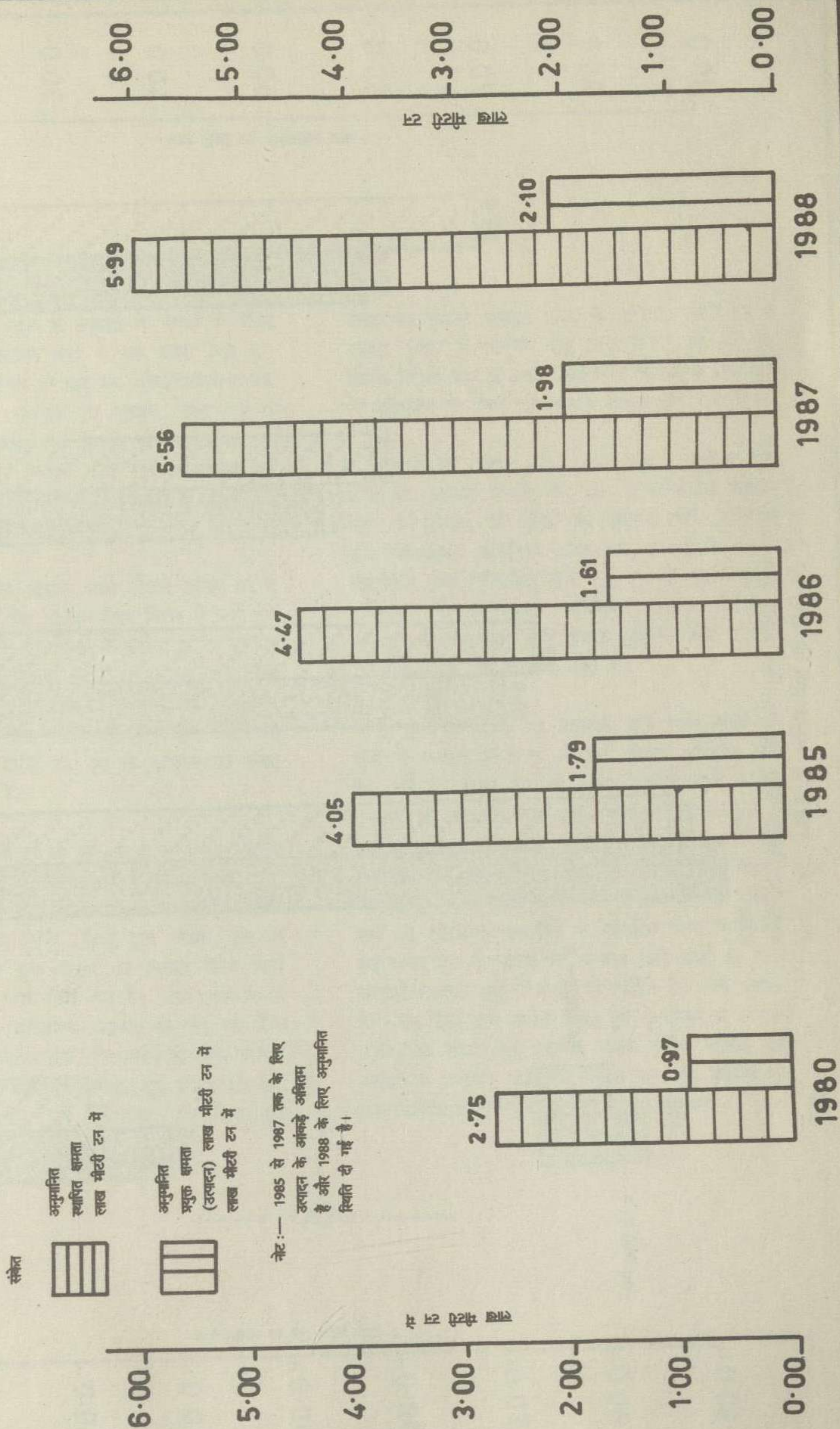
5.2 निगम की अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में उत्पादकों को आपूर्ति करने के लिए रोपण सामग्री, मूल बीजों का उत्पादन करना शामिल है। निगम ने टमाटर की पैदावार करने के लिए किसानों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है। अतः पैदा किए गए टमाटरों को निगम द्वारा पूर्व-निश्चित मूल्यों पर खरीदा जाता है।

परामर्शदात्री सेवाएं

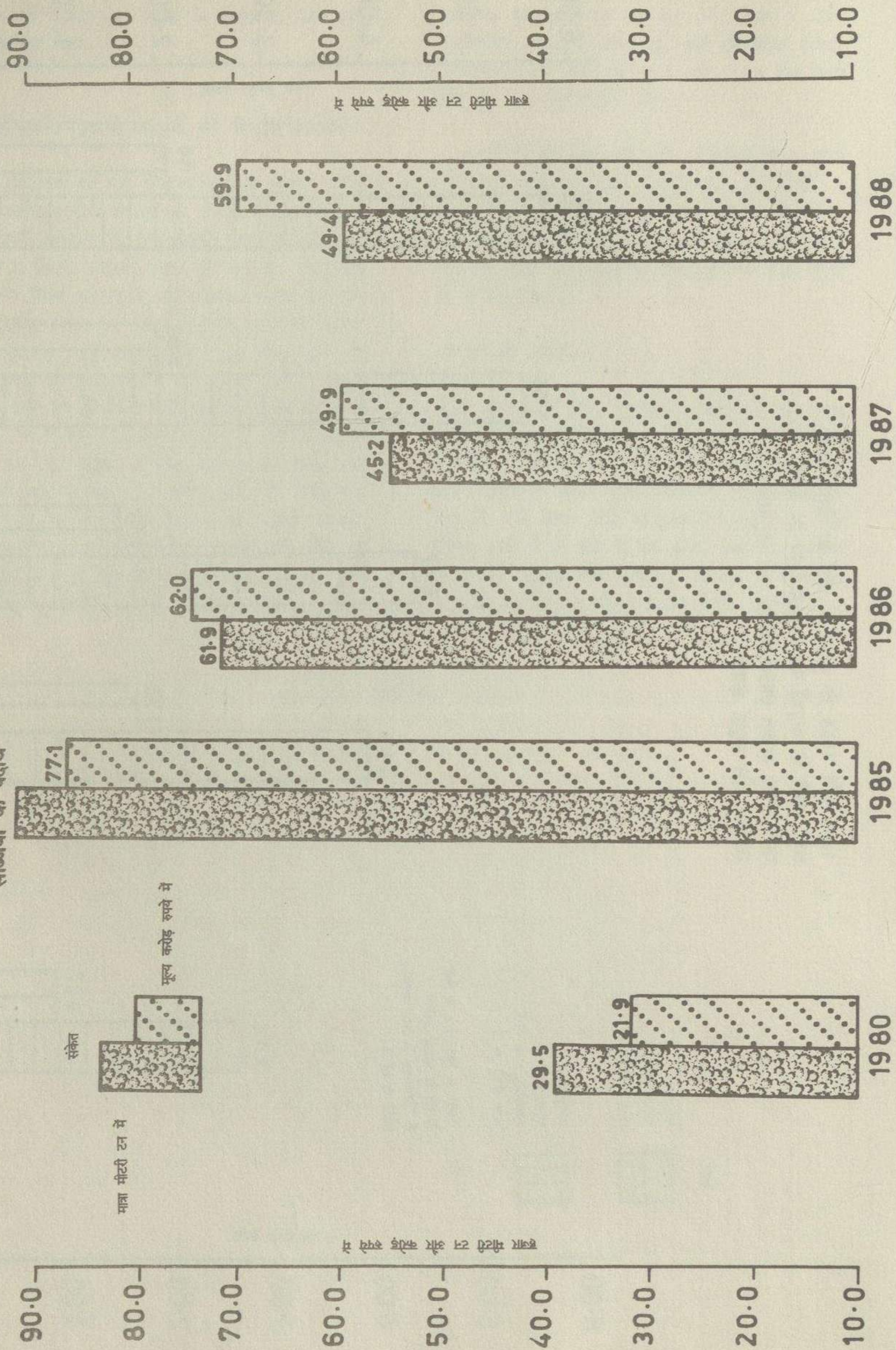
6. मंत्रालय में एक परामर्शदात्री सैल है जो फल तथा सब्जी प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए व्यावसायिक सेवाएं सुलभ करता है। इन सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस परियोजना की लागत का एक प्रतिशत होती है जो कम से कम 6000 रुपये और अधिक से अधिक 25,000 रुपये होती है। अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान इस सैल ने तीन परियोजना रिपोर्टें तैयार कीं।

— : oOo : —

1980 और 1985 से 1988 के वर्षों के दौरान फल तथा सब्जी के पदार्थों का उत्पादन करने के लिए फल उत्पाद आदेश लाइसेंसधारियों की अनुमानित स्थापित और प्रयुक्त क्षमता



1980 और 1985 से 1988 तक के वर्षों के दौरान
भारत से निर्यात किए गए संसाधित फलों और
सब्जियों के पदार्थ



दूध और दूध के पदार्थ

विश्व में भारत का दूध के उत्पादन के मामले में चौथा स्थान है और विकासशील देशों में यह सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। स्वतंत्रता के बाद जब औद्योगिकीकरण और जनजागरण के कारण संगठित दूध एकत्रण, तरल रूप में दूध का प्रसंस्करण करने तथा निपटान योग्य अधिशेष दूध से दूध के उत्पादों का उत्पादन करने की आवश्यकता पैदा हो गयी थी तब दूध के प्रसंस्करण और दूध के उत्पादों का उत्पादन करने को बढ़ावा मिला।

2. देश में दूध का उत्पादन कार्य मौसमी स्वरूप का है मुख्यतया इसलिए कि भैंस प्रत्येक मौसम विशेष में बच्चे देने वाली होती है। पिछले दो दशकों के दौरान दूध के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1977-78 में हुए 284 लाख मीटरी टन के उत्पादन की तुलना में 1987-88 के दौरान उत्पादन बढ़कर 459 लाख मीटरी टन हो गया। 1989-90 के लिए 510 लाख मीटरी टन दूध के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. देश में दूध के हो रहे कुल उत्पादन के 30 प्रतिशत दूध से दूध के पदार्थ तैयार किए जाते हैं, इसमें से भी 85% मात्रा का घी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लगभग 30 वर्ष पूर्व मक्खन, पनीर, शिशु दुग्ध आहार, दूध के पाउडर और माल्टेड दुग्ध आहार का आयात किया जाता था। इस रुख को पलट दिया गया है। वर्ष 1975-76 से दूध के उत्पादों के वाणिज्यिक आयात को बंद कर दिया गया है। अब "आप्रेशन फ़ूड" के अधीन द्विपक्षीय सहायता के जरीये सामान्यतया उपहारस्वरूप सप्रेटा दूध पाउडर और बटर आयल प्राप्त होते हैं। दूध के पाउडर और शिशु दुग्ध

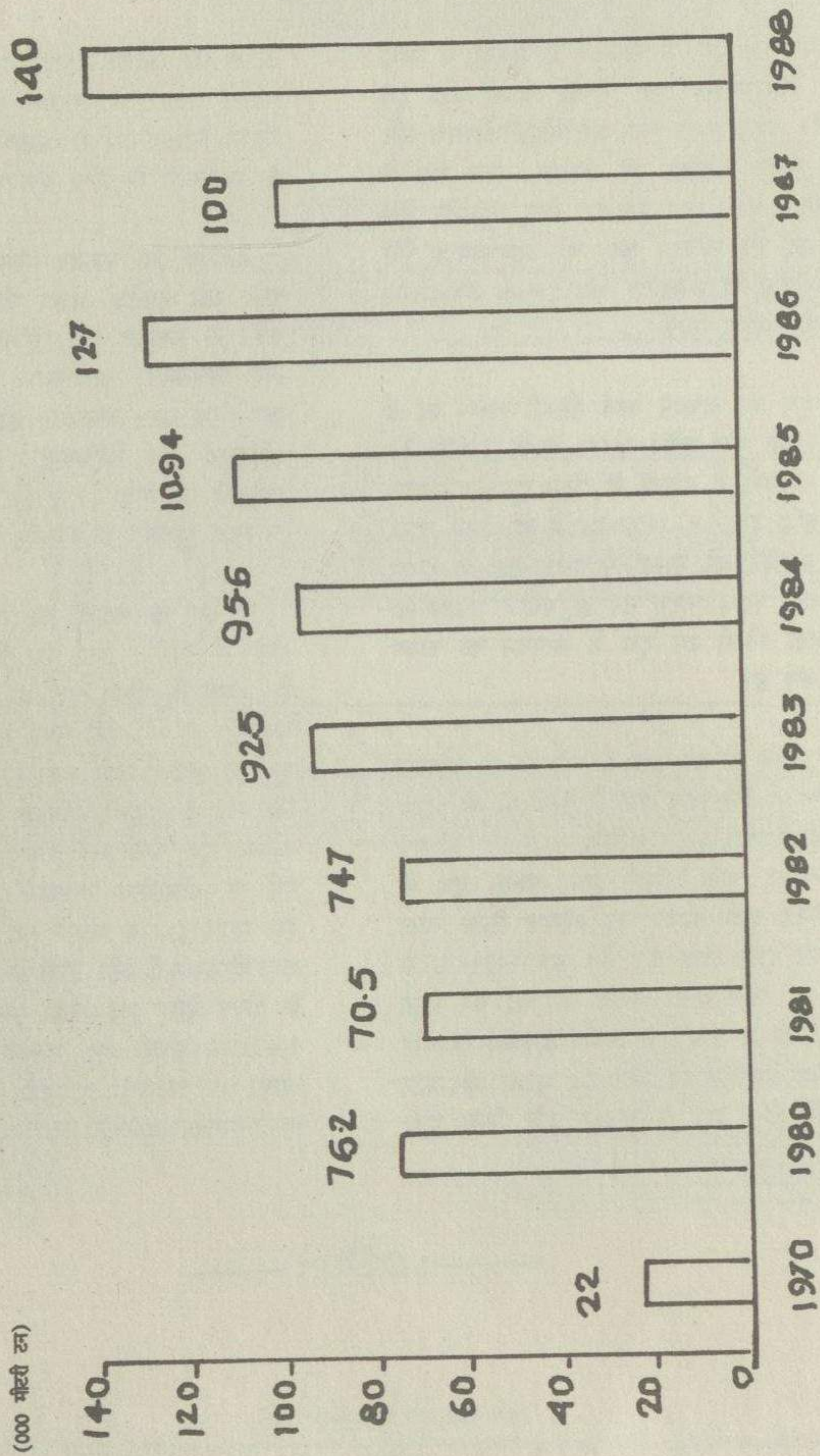
आहार का स्वदेशी उत्पादन 1970 के 22,000 मीटरी टन से बढ़कर 1987 में लगभग एक लाख मीटरी टन हो गया जिससे निश्चित रूप से आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूध के प्रसंस्करण के लिए एक सशक्त आधार बन गया है।

4. दूध का पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, कंडेस्ड दूध, पनीर और माल्टेड आहार जैसे दूध के पदार्थ का उत्पादन करने से संबंधित डेरी यूनिटों की स्थापना उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अंतर्गत लाइसेंसिंग द्वारा विनियमित होती है। दूध के पदार्थ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद 27(2), "मिल्क फूड्स" और 27(3) "माल्टेड फूड्स" के अंतर्गत आते हैं।

5. दूध के पदार्थों का उत्पादन करने वाले यूनिट उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां विक्रेय अधिशेष होता है। वर्ष के दौरान दूध का पाउडर माल्टेड दुग्ध आहार, मक्खन, घी और दही तैयार करने के लिए सहकारी क्षेत्र के दूध का उत्पादन करने वाले यूनिटों को छः आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा दूध का पाउडर, शिशु आहार, कंडेस्ड दूध, छेना आदि तैयार करने से संबंधित चार आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया गया है। इस समय दूध के पदार्थों का उत्पादन करने वाले 83 प्लांट सरकारी/सहकारी और निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। वर्ष 1988 के दौरान शिशु दुग्ध आहार सहित दूध के पाउडर का लगभग 1,40,000 मीटरी टन, माल्टेड आहार सहित माल्टेड दुग्ध आहार का लगभग 32,000 मीटरी टन और कंडेस्ड दूध का लगभग 6,100 मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान है।

— : oOo : —

देश में दूध के पाखंड और शिशु दुग्ध आहार का उत्पादन



मांस और मांस के पदार्थ

मांस का उत्पादन और प्रसंस्करण

स्वच्छ और सम्पूर्ण मांस तथा मांस के पदार्थों की आंतरिक खपत तथा निर्यात के लिए मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए मंत्रालय का मांस और मांस के उत्पादों के लिए प्रसंस्करण की सुविधाओं में सुधार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने का विचार है। इस प्रकार का आधुनिकीकरण करने में देश में बूचड़खानों की मशीनरी और उपकरणों तथा आधुनिक मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की सीमित उपलब्धता होने की दो समस्याएं हैं। मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से उदार शर्तों पर तब तक आयात करने की अनुमति देने जब तक देश में ही इनकी सप्लाई बढ़ा नहीं ली जाती है, के बारे में राय बनायी गई है। आधुनिक मांस प्रसंस्करण सुविधाओं में भी अभिवृद्धि करने का प्रस्ताव है।

नमकीन सूकर मांस और सूअर के मांस का प्रसंस्करण

2. चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान और केरल में आठ नमकीन सूकर मांस की फैक्ट्रियां और सूअर मांस प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किए गए हैं जिनका उद्देश्य सूअर के पालकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना

और उपभोक्ताओं को सूअर के मांस के स्वच्छ उत्पाद उपलब्ध करना है। इन फैक्ट्रियों में क्षमता उपयोग कम है और इसमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

बूचड़खानों के सहोत्पाद

3. यह महसूस किया गया कि देश में बूचड़खानों के सहोत्पादों को इकट्ठा नहीं किया जा रहा है और न ही उनका उचित ढंग से प्रसंस्करण किया जा रहा है। अतः मंत्रालय ने विदेशी सहायता से बपने, जिला थाने (महाराष्ट्र) में स्थित पशु सहोत्पाद केन्द्र को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। देश के अन्य भागों में स्थित ऐसे केन्द्रों को मजबूत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

कुक्कुट प्रसंस्करण

4. पिछले तीन दशकों के दौरान देश में कुक्कुट उद्योग ने अत्यधिक प्रगति की है और इसका संगठित और अत्यधिक उत्पादनकारी कृषि-आधारित उद्योग के रूप में विकास हुआ है। इसने वर्ष 1988-89 के दौरान 1,700 करोड़ अण्डों और 12 करोड़ कबाबों (ब्रायलरो) का उत्पादन किया। हाल ही में कुक्कुट मांस उत्पादों का उत्पादन करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ आधुनिक कुक्कुट प्रसंस्करण प्लांट लगाए गए हैं।

— : oOo : —

समुद्री सीमा के आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मत्स्यकी

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

सरकार ने 1977 में ही अनन्य आर्थिक जोन (ई०ई०जैड०) के 200 समुद्री मील की घोषणा कर दी थी जिससे समुद्री मात्स्यकी के विकास के लिए विशाल संसाधन पैदा हो गए। ई०ई०जैड० के 20.2 लाख घन किलोमीटर से जीवित मछलियों को पकड़ने के उद्देश्य से सरकार गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों (20 मीटर और समूची दूरी से आगे) का इस्तेमाल इनका आयात कर, देश में ही इनका निर्माण कर तथा विदेशी मत्स्यन जलयानों को चार्टर कर किया जाता है। ई०ई०जैड० में इस समय स्वामित्व के आधार पर कार्य कर रहे गहरे समुद्र के मत्स्यन जलयानों की कुल संख्या 153 है। इसके अलावा, भारतीय कम्पनियों के लिए भारतीय और विदेशी शिपयार्डों में 55 जलयानों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से, जनवरी-मार्च, 1989 के दौरान भारतीय और विदेशी शिपयार्डों द्वारा पांच जलयानों को सुपुर्द कर देने की सम्भावना है। शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी आफ इंडिया (एस०सी०आई०सी०आई०) प्रारम्भ में जलयानों की लागत, परिचालन लागत और अन्य पूर्व-परिचालन खर्चों सहित समस्त परियोजना के लिए ऋण सुलभ करती है। सरकार की वर्तमान नीति का उद्देश्य गैर-श्रिम्प स्रोतों का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

- (1) टूना लांग लाइनर
- (2) टूना मछली पकड़ने के लिए पोल और लाइन जलयान
- (3) टूना पर्स-सीनर
- (4) स्किवड जिगर
- (5) स्टर्न ट्रालर

1988-89 के दौरान 87 गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों के लिए 41 अनुमति पत्र जारी किए गए। वर्ष के दौरान भारतीय कम्पनियों द्वारा भारतीय समुद्र में 15 आयातित और स्वदेशी 'गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों' को छोड़ा गया है।

चार्टर नीति

2.1 भारत सरकार की चार्टर नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:—

- (1) भारतीय एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मात्स्यकी संसाधनों की भरपूरता और वितरण की व्यवस्था करना।
- (2) आर्थिक सहयोग के लिए उपयुक्त क्राफ्ट और गियर का मूल्यांकन करना।
- (3) औद्योगिकी का अन्तरण सुनिश्चित करना;
- (4) स्वामित्व के आधार पर गहरे समुद्र में फिशिंग फ्लीट को बढ़ाना; और
- (5) गैर-परम्परागत मछली के लिए विदेशों में मंडी बनाना।

2.2 सरकार की चार्टर नीति भारतीय समुद्री क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मात्स्यकी का विनियमन) अधिनियम, 1981 और 1982 में बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती है। इस कानून को बनाने से निम्नलिखित दो उद्देश्य प्राप्त किए गए:—

- (1) अनधिकृत विदेशी मात्स्यकी जलयानों द्वारा चोरी से मछली पकड़ने की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है; और
- (2) ऐसे क्षेत्रों में जो परम्परागत क्षेत्र के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं वहां विदेशी चार्टर्ड जलयानों और यांत्रिक नाव परिचालनों को विनियमित किया गया;

2.3 1986 की नीति में किए गए कुछ सुधार निम्नानुसार हैं:—

- (1) चार्टर करने की कुल अवधि दो वर्ष होगी जबकि पहले तीन वर्ष थी। लेकिन आरम्भ में चार्टर परमिट केवल एक वर्ष के लिए जारी

किया जाएगा। चार्टर के प्रथम वर्ष के अन्त से पूर्व, चार्टरकर्ता से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम सहयोग करने अथवा निश्चित समय के अन्दर चार्टर के अधीन यथा परिचालित इसी प्रकार के और विनिर्दिष्टियों के जलयानों को प्राप्त करने से संबंधित ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी। इससे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में चार्टरकर्ता की स्थायी अन्तर्ग्रस्तता के लिए उसे और अधिक अवसर मिलेगा।

- (2) चार्टर की अवधि के दौरान, भारतीय कम्पनी को पुरानी नीति के अधीन देय 15 प्रतिशत के शेयर की बजाए चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर चार्टर परिचालन से पकड़ मूल्य में से 20 प्रतिशत का न्यूनतम शेयर मिलना चाहिए। इससे विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि होगी।
- (3) विदेशी कप्तान, इंजीनियर और अन्य परिचालन कर्मी दल के अधीन अध्ययन करने के लिए 25 प्रतिशत कर्मी दल भारतीय नागरिक होंगे जबकि पहले यह प्रतिशतता 20 थी।
- (4) केवल विशेषीकृत तथा संसाधन विशिष्ट जलयानों को इजाजत होगी जबकि पुरानी नीति के अधीन बुल-ट्रालरों की व्यवस्था थी।

2.4 इस समय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 33 देशी चार्टर्ड जलयान कार्यरत हैं। पिछले तीन वर्षों के

दौरान मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड जलयानों के परिचालन से कुल क्रमशः 8.5 लाख, 14.3 लाख और 13.2 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कार्यालय (एफ० एस० आई०), बम्बई

3.1 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कार्यालय का मुख्यालय बम्बई में है और इसके मरमुगांव, कोचीन, मद्रास और विशाखापत्तनम में चार जोनल बेस हैं और अन्य छोटे-छोटे बेस पोरबंदर, बम्बई और पोर्ट ब्लेयर में भी हैं। ये हमारे एक्सक्लूसिव इक्रामिक जोन में समुद्री मत्स्य सम्भाव्यता का समन्वेषी सर्वेक्षण करने के कार्य में जुटे हुए हैं। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कार्यालय के 10 बड़े सर्वेक्षण जलयान और सात मध्यम आकार के जलयान हैं जो डिमर्सल ट्रालिंग, पर्स सीनिंग, टूना लांग लाइनिंग और स्क्विड जिगिंग द्वारा समन्वेषी सर्वेक्षण करने में संलग्न हैं। डिमर्सल ट्रालिंग द्वारा 53,370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है।

3.2 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कार्यालय ने "मत्स्य संसाधन डेटा और मात्स्यकी उद्योग" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के लाभ के लिए अपनी किस्म की पहली कार्यशाला थी।

3.3 भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण कार्यालय ने समुद्री मत्स्य स्रोतों, विशेषकर टूना स्रोतों, समुद्री झींगा, समुद्रफेनी और कटल फिश आदि, जोकि श्रिम्प के बाद काफी मूल्य की होती है और उनके निर्यात की अधिक सम्भाव्यता होती है, का प्रभावकारी इस्तेमाल करने के लिए सभी समुद्रवर्ती राज्यों और मत्स्यकी उद्योग को लाभ पहुंचाया है।

— : oOo : —

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड

माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की स्थापना एक सरकारी कंपनी के रूप में माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड के नाम से 1965 में हुई थी। कंपनी की विविध गतिविधियों को प्रतिबिम्बित करने के लिए इसका मौजूदा नाम नवम्बर, 1982 में अपनाया गया था।

2. पूंजीगत ढांचा

कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी 6 करोड़ रुपये है। इसकी प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 1988 को स्थिति के अनुसार 4.67 करोड़ रुपये थी। कम्पनी की भारत सरकार को देय बकाया ऋणों की राशि 31 मार्च, 1988 को लगभग 2.04 करोड़ रुपये थी जबकि एक वर्ष पहले यह राशि 2.19 करोड़ रुपये थी।

3. भौतिक कार्य निष्पादन

3.1 ब्रेड

कंपनी अपने अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास और राँची में स्थित तेरह यूनिटों में विभिन्न किस्मों की ब्रेड, जैसा कि सफेद सेंडीविचब्रेड, स्वीट ब्रेड, मिल्क ब्रेड, फ्रूटी, और पोषाहार कार्यक्रमों के लिए विशेष ब्रेड का उत्पादन और उनकी बिक्री करती रही। अप्रैल से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान ब्रेड की कुल बिक्री 13.13 करोड़ मानक रोटियाँ थी जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 13.47 करोड़ मानक रोटियाँ बेची गई थीं। उसी अवधि के दौरान ब्रेड की वाणिज्यिक बिक्री 11.04 करोड़ मानक रोटियाँ थीं जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में यह बिक्री 11.30 करोड़ मानक रोटियाँ थी। पोषाहार संबंधी कार्यक्रमों के लिए ब्रेड की बिक्री 2.09 करोड़ मानक रोटियाँ थी जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान 2.17 करोड़ मानक रोटियों की बिक्री की गई थी।

3.2 पेय

3.2.1 दिल्ली में स्थित फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट "रसिका" फ्रूट जूस और पेयों का बोतलों में उत्पादन करता रहा और

उनकी बिक्री करता रहा और चलती फिरती गाड़ियों तथा वेंडिंग मशीनों के जरिये भी उन्हें बेचता रहा। अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान "रसिका" के 3.08 लाख क्रेट (प्रत्येक 24 बोतलों का क्रेट) बेचे गए।

3.2.2 कम्पनी देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने विशेषाधिकार प्राप्त बाटलरों को साफ्ट ड्रिंक का सांद्रण बेच रही है। ये बाटलर 'डबल सेवन कोला', 'डबल सेवन' आरेंज और 'टिंगलर' (लाइम लेमन ड्रिंक) के ब्रांड नामों से वातित साफ्ट ड्रिंक तैयार कर रहे हैं और उसे बाजार में बेच रहे हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान सांद्रणों की संचयी बिक्री 1,528 यूनिट (प्रत्येक 10 किलो का) थी। कम्पनी देश के विभिन्न भागों में नये बाटलरों को नियुक्त करने के प्रयास कर रही है ताकि वह अपनी बिक्री और बाजार शेयर में वृद्धि कर सके। इसने अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए "रसिका" की बांटलिंग करने के लिए विशेषाधिकार भी प्रदान किए हैं। मेरठ में स्थित विशेषाधिकारधारी ने मई, 1988 में "रसिका" का उत्पादन शुरू कर दिया।

खाद्य तेल प्लांट, उज्जैन

3.3 तेल प्लांट ने अपने विलायक और परिष्करण सेक्शनों में अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान 5,017 मीटरी टन कच्चे माल का प्रसंस्करण किया जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि में यह मात्रा 4,149 मीटरी टन थी।

एक्सट्रूडर फूड यूनिट, जयपुर

3.4 अप्रैल से दिसम्बर 1988 तक की अवधि के दौरान इस यूनिट ने 1,098 मीटरी टन एक्सट्रूडर फूड का उत्पादन किया और उसकी राजस्थान सरकार के विभिन्न फीडिंग कार्यक्रमों के लिए सप्लाई की जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 1,185 मीटरी टन की मात्रा तैयार और सप्लाई की गई थी।

3.5 रोलर फूलोर मिल, फरीदाबाद

कम्पनी ने मक्का मिल को रोलर फूलोर मिल में परिवर्तित किया। इस मिल ने दिसम्बर, 1987 में कार्य शुरू किया।

फरीदाबाद क्षेत्र में बिजली की समस्या होने के कारण इस मिल को पूर्ण लोड पर नहीं चलाया जा सका। इस समस्या को हल करने के लिए वहां एक जेनरेटर लगाया गया है। अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान इस मिल ने 3,311 मीटरी टन मैदा, आटा और ब्रान का उत्पादन किया। यह मिल कम्पनी के ब्रेड तैयार कर रहे यूनिटों की मैदे की आवश्यकता को पूरा करती है।

3.6 फल प्रसंस्करण यूनिट, भागलपुर

श्रमिक समस्याएं होने और पिछले वर्ष के दौरान उत्पादित फल और गूदे की लम्बी माल सूची होने के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान गूदे का कोई उत्पादन नहीं किया गया। इस यूनिट में एफ्लूयेंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जो कि नियमित उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है। औद्योगिक एस्टेट क्षेत्र, जहां फैक्ट्री स्थित है, में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव के कारण ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का कार्य रूका हुआ है।

4. वित्तीय कार्य निष्पादन

4.1 कारोबार

कम्पनी का अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान कुल कारोबार 32.31 करोड़ रुपये का हुआ। कम्पनी का बिक्री संबंधी कुल कारोबार 1987-88 के दौरान 1986-87 के 41.68 करोड़ रुपये से बढ़कर 45.91 करोड़ रुपये हो गया।

लाभ और लाभांश

4.2 कम्पनी ने 1987-88 के दौरान 110.07 लाख रुपये का कर से पूर्व लाभ कमाया था। कम्पनी ने अपने अंशधारियों को वर्ष 1987-88 के लिए 5% की दर पर लाभांश का भुगतान किया है।

5. नई परियोजनाएं

दिल्ली के ब्रेड यूनिट में मौजूदा तीन लाइनों में पहली अतिरिक्त लाइन को 22 नवम्बर, 1988 को शुरू किया गया। इस यूनिट में दो और अतिरिक्त ब्रेड लाइनों की सौपानवार स्थापना करने और उन्हें 1989 और 1990 के

अंत तक चालू कर देने की संभावना है। कम्पनी असम में सिल्चर में एक अनन्नास जूस सांद्रण प्लांट 2.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगा रही है। कम्पनी का उदयपुर में एक पोषाहार प्लांट लगाने का प्रस्ताव है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड

1. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप में मार्च, 1982 में हुई थी। इसका प्रधान कार्यालय गुवाहाटी में है। कम्पनी की अधिकृत अंशपूंजी 5 करोड़ रुपये है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पैदा होने वाले फलों और सब्जियों का विपणन और प्रसंस्करण करना और उससे उस क्षेत्र के विकास में योगदान देना है।

2. इस निगम की प्रमुख फल प्रसंस्करण परियोजना अर्थात् त्रिपुरा में फ्रूट जूस सांद्रण प्लांट लगभग 360 लाख रुपये की लागत पर स्थापित किया गया था। इस प्लांट ने 10 जून, 1988 से कार्य करना शुरू कर दिया। इस संयंत्र की प्रति दिन 48 मीटरी टन अनन्नास या संतरे की प्रसंस्करण करने की स्थापित क्षमता है। 1988 के मुख्य मौसम (गर्मी के मौसम में) इस मूनिट ने 36 मीटरी टन अनन्नास सांद्रण का उत्पादन किया।

3. दिसम्बर, 1988 के अन्त तक निगम ने लगभग 10 मीटरी टन सिट्रोनेल्ला आयल, 10.3 मीटरी टन अदरख, 385.6 मीटरी टन सरसों के तेल की खली, 1.1 मीटरी टन सुगन्धित पदार्थों और मामूली मात्रा में बागबानी / कृषि उत्पादों का विपणन किया।

बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम लिमिटेड

बिहार फल तथा सब्जी विकास निगम लिमिटेड बिहार सरकार का एक उद्यम है। इसने समन्वित कृषि औद्योगिक काम्प्लेक्स के एक अंग के रूप में हाजीपुर में एक फल तथा सब्जी प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट ने 1985-86 के दौरान उत्पादन शुरू कर दिया था। केन्द्रीय सरकार ने इस निगम को 119 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। (49 लाख रुपये इक्विटी के रूप में और 70 लाख रुपये दीर्घकालिक ऋण के रूप में)।

Contents

	Page
Chapter I. Ministry of Food Processing Industries- Its establishment, achievements and future plans.	1
Chapter II. Structure and functions of the Ministry of Food Processing Industries	3
Chapter III. Strategic Action Plan for development of Food Processing Industries	4
Chapter IV. Foodgrain Milling Industry	7
Chapter V. Food Processing Industries	11
Chapter VI. Fruit and Vegetable Processing	12
Chapter VII. Milk and Milk Products	16
Chapter VIII. Meat and Meat Products	18
Chapter IX. Fishing and Fisheries beyond territorial waters	19
Chapter X. Public Sector Undertakings	21

CHAPTER I

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES—ITS ESTABLISHMENT, ACHIEVEMENTS AND FUTURE PLANS.

1. The Ministry of Food Processing Industries, the first of its kind in the developing countries, was established in July, 1988 to provide for a dynamic and synchronised mesh between the farmer and the industry so that there is better utilisation of agricultural products, greater addition of value to rural produce, generation of massive employment in rural areas, enhancement of the net level of rural incomes, and induction of modern technology in food processing. Another objective of the Ministry is to promote utilisation of the large scale wastages which take place in the pre and post-harvest handling of fruits and vegetables, thereby improving the economic utilisation of food produced, simultaneously augmenting the nutritional inputs available to the people. The task before the Ministry will be to promote industrialisation in rural areas so that women and youth can get absorbed in gainful employment near their homesteads itself.

2. Some of the subjects coming under the purview of the Ministry are fruit and vegetable processing industry, foodgrains milling industry, dairy products, marine fishing, and processing of fish and some of the agricultural products, poultry and eggs, meat etc. The Ministry will bring under one roof these subjects carved out of the Departments of Agriculture, Food and Industrial Development, to subserve the concept of a single window approach.

3. Technical experts/officers and a nucleus of secretariat officers and staff have been transferred to the new Ministry along with their subjects. Vigorous efforts are under way to build up the infrastructure of the Ministry and equip it to plan and implement the tasks it has set for itself. Office accommodation allotted for the Ministry is under renovation and will be ready for occupation shortly.

4. As a first step to take stock of the current status of the food processing industry, analyse in depth its strengths and weaknesses, and examine the opportunities available to it, a brain storming session was convened on 23rd July, 1988 in Delhi. A galaxy of talent comprising intellectuals, economists, industrialists, representatives from small-scale sector and research institutions participated in the session. The Ministry had also discussions with experts in the field of exports. As a result of these exercises, the major objectives of the Ministry and the package of measures needed to achieve them were delineated and Government's approval obtained.

5. Cognisant of the fact that State Governments would be the major partners in all the programmes of the Ministry, the State/Union Territories were grouped into six zones. Meetings have been held so far with the States/Union Territories in the Central, Northern, Eastern, Southern and Western zones; meetings with those in North-Eastern zone will be held, shortly. These meetings were chaired by the Minister of Food Processing Industries and attended by concerned Ministers from the States/Union Territories. Senior officers and experts from the Ministry and the State Governments provided the necessary support. State Governments came up with useful and practical suggestions. Each State has agreed to identify a nodal agency in its set-up with which the Centre can interact in implementing the strategic action plan drawn up by the Ministry.

6. The significant steps taken by the Ministry so far to promote its objectives are: All food processing industries other than milk foods, malted foods and flour excluding items reserved for small-scale sector and all items of packaging for food processing industries excluding the items reserved for small scale sector have

been placed in Appendix I industries. Similarly, the facility of broad-banding has been extended to all fruit and vegetable products and all processed foods excluding the items reserved for the small scale sector. A number of items of equipment which are not indigenously available have been placed under OGL on concessional rate of customs duty. Other fiscal incentives to reinforce the directives of the Government in according the food processing sector a high priority status are under consideration.

7. Three sector-wise Development Councils have been constituted under the Chairmanship of the Secretary to the Ministry of Food Processing Industries. Representation has been

provided to management experts, scientists, consumer protection interests, technologists, industry representatives and Government departments. The Councils have met twice and made a number of significant recommendations. Expert panels have also been formed under the aegis of these Development Councils to prepare detailed reports apropos the food processing industries and provide constant feed-back to the Ministry.

8. A National Fisheries Advisory Board has been set up in the Department of Agriculture and Co-operation to assist in the development of the fisheries sector in the country, both inland and marine.

— : oOo : —

CHAPTER II

STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The Ministry of Food Processing Industries will fulfil the need for a major catalyst for laying down an agro-based pattern of rural industrialisation which would transfer technology, increase incomes and create major avenues for increased rural employment, including gainful employment for women, in the rural sector. The Ministry would be the central agency of the Government for the promotion of food processing industries in the country including formulation and implementation of industrial policy in respect of specific industries allotted to the Ministry in accordance with the national priorities and objectives. In processing of applications for industrial licences for foreign collaboration and import of capital goods the Ministry will play a significant role in conjunction with the Department of Industrial Development.

2. The functions of the Ministry can be broadly classified as (i) developmental; (ii) regulatory and (iii) technical and advisory. These functions are carried out through the subject specialists in the Ministry and its field organisations. Two public sector undertakings, namely Modern Food Industries (India) Ltd. and North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. which are associated solely with food processing and marketing, have also been placed under the administrative charge of the Ministry with effect from 31st October 1988.

3. The Ministry is functioning with the limited staff transferred by the Department of Agriculture & Co-operation and Department of Food along with their subjects. It will take some time to bring into position the full complement of secretariat staff.

— : oOo : —

CHAPTER-III

STRATEGIC ACTION PLAN FOR DEVELOPMENT OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

The following industries/activities come within the purview of the Ministry :—

- (i) Fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration).
- (ii) Foodgrain milling industry.
- (iii) Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, ghee etc.
- (iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat and meat products.
- (v) Processing of fish (including canning and freezing).
- (vi) Establishment and servicing of the Development Council for fish processing industries.
- (vii) Technical assistance and advice to fish processing industry.
- (viii) Fishing and fisheries beyond territorial waters.
- (ix) Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).
- (x) Specialised packaging for food processing industries.

(xi) Beer including non-alcoholic beer.

(xii) Alcoholic drinks from non-molasses base.

(xiii) Aerated waters/soft drinks.

2. As a first logical step to study in depth the current status of the food processing industries in the country, in order to identify its strengths and weaknesses, to take note of the opportunities available and to work out the modalities to meet the challenges, to understand the socio and equity issues involved and to draw a concrete agenda for action, a brain-storming session was held on 23rd July 1988. The session received a good response from all sections of the industry, economists, research institutions and intellectuals.

3. Taking into account the views of the participants at the brain-storming session and further exercises carried out, a package of measures for the development of food processing industries has been endorsed by the Government. These measures include :—

(1) Since the Ministry has been entrusted with the task of increasing rural incomes and provide for a quantum jump in rural employment, major emphasis would be laid on the cottage and small scale industries and rural cooperatives which would act as pre-processing centres as well as small independent units for manufacturing indigenous products which will cater not only to the rural markets, but also to urban areas e.g. items such as pickle, murabbas, pappads, snack foods such as sukdi, murmura, sev, etc. Thus cottage and small scale units could be developed by adoption of appropriate technologies for which there is a very strong indigenous presence.

(2) The rural population amounting to 65 per cent of the total population in the country are engaged in agriculture. Due to seasonality of occupation, a large percentage of this population is below the poverty line. Hence there is a crying need to ensure increase of rural employment and rural income so that the standard of revenue will go up considerably and migration to the cities can be prevented.

(3) It is estimated that fruits and vegetables valued at Rs. 3,000 crores are wasted every year due to inadequate post-harvest handling as well as absence of linkages with the processors and fresh fruits and vegetables markets. It is in the interest of our economy to see that such losses are prevented and adequate raw materials are provided to the processing units whose capacity utilisation is around 38 per cent. Equally important is ensuring availability of fresh fruits and vegetables to the users which goes a long way in ensuring nutrition to the vulnerable sections of the population.

(4) The food processing industries including packaging and preservation will be placed in Appendix I. This will enable large houses to enter into food processing sector enabling economies of scale to be achieved and also take care of post—harvest losses which is the bane of agriculture today. However, necessary effective steps will be taken to see that the small scale industries, cottage industries and tiny sector do not get adversely affected in the process. Their place in the scheme of things will not get altered.

(5) To achieve economies of scale and to obtain higher production levels, to achieve common production aggregates utilising the available infrastructure, broad banding of industries will be permitted. This facility is available to some industries at present.

(6) Food processing, packaging and preservation industries have to store raw materials for a long time and hold finished products also for a long period since the raw materials are available only in a particular season. Consequently, their need of working capital is very high. Hence, the food processing industries will be treated as a high priority sector for the purpose of bank finance.

(7) The processing units need an assured base for provision of raw materials. The processing industries will be able to get raw materials by forming cooperatives in rural areas for collection of raw materials. They necessarily will have to provide extension services, seeds, fertilizers, etc. so that they are assured of a proper supply of raw materials. These processing industries may also obtain some land for demonstration purposes. However, this holding of land will be subjected to the existing land ceiling laws in the country.

(8) It may be feasible to organise cooperatives of producers providing them all the inputs and undertaking to buy back the entire quantities so produced at the price which is fixed very much in advance. While forming such cooperatives, foreign collaborations will be allowed to utilise them for the purpose of provision of raw materials and eventual 100% export.

(9) The food processing industry as on today is treated as an elitist sector. Consequently, taxes and duties have been slapped very heavily on them. Hence after consulting various Ministries/Departments, necessary fiscal incentives will be provided to the food processing industries.

(10) Investment in cold storages will be encouraged for preserving raw materials and finished products. Duty structure and other levels which are not helpful to this industry will be restructured after due discussions with the concerned Ministries. While encouraging new cold storages, the needs of small farmers will be carefully considered and provided for.

(11) To form overall policy framework in respect of fishing industry in the country, a National Fisheries Development Board will be formed.

(12) Concern has been expressed in various quarters about non-availability of space in our national carriers such as Air India for export of our products as well the high cost of shipping freight when Shipping Corporation of India is entrusted with this task. To enable processed food exports to enjoy concessional freight structure, an Open Sky Policy will be

followed by which foreign freight carriers as well as Indian carriers will be encouraged to touch Indian ports in one of their circular routes.

(13) Permission to import state-of-the-art technology, both for capital equipments and process technology, will be granted. Repetitive imports will not be permitted. When there is strong indigenous presence, such imports will not be permitted. Meanwhile, attempts will also be made to develop indigenous capabilities through technology adoption and absorption.

(14) The Indian agro food industry will be given incentives to encourage joint ventures abroad. These joint ventures may export our semi-processed food, process them further and market in those countries.

(15) Some foreign companies have good brand image in the neighbouring countries. We shall find out an avenue for export of our processed food by permitting such foreign companies market our processed foods under their brand names. Consequently, our exports get strengthened by taking advantage of the brand name promoted in those countries by foreign companies.

(16) In deep sea fishing, joint ventures will be permitted with established foreign companies. In such ventures, large houses will be permitted to participate. In view of heavy investment involved in deep sea fishing sector and return on investment being slow, it is found necessary to allow large houses to enter into this sector utilising the technology provided by the advanced countries. A huge wealth in our Exclusive Economic Zone remains untapped.

(17) The quality control laboratories will be upgraded by providing modern instruments for analysis and the skills of the staff who man such laboratories, will be upgraded.

4. The State Governments have a significant role to play in providing the infrastructure and raw materials for food processing industries. With a view to coordinating the activities pertaining to this sector in the States,

the State Governments have been requested to form separate Nodal Agencies. The response from the State Governments has been very encouraging. It would also be beneficial if major action plans are drawn up in consultation with the State Governments in those States where already positive work has been done in the food processing sector. Inter-action in this regard has already been commenced with some of the States.

5. Meetings have also been held at Minister's level with the State Governments by grouping them conveniently into small zones. So far such meetings have been held with States in Central, Western, Northern, Southern and Eastern Zones. Similar meetings with States in the North Eastern zone will also be held shortly. These meetings provided a valuable opportunity to identify the action by the State Governments. Particularly the areas in which action is required are :—

- (i) to create in each State a reliable data base and to have a directory of infrastructure available;
- (ii) to identify projects for which the Nodal officers of the States could seek the help of State Industrial Finance Corporation and other State agencies;
- (iii) to declare crops yielding raw materials, especially fruits and vegetables grown for processing industries as plantation crops or alternatively to achieve large scale production of raw materials in State farms; and
- (iv) to rationalise the sales-tax and octroi duty structure.

Suggestions received from individual States will also be examined within the broad framework of the package of measures endorsed by Government and suitable decisions taken.

6. As a result of the exercises done at various levels so far, it is evident that the food processing sector holds vast promise for generation of rural employment and economic upliftment of the rural population. Concerted efforts in coordination with the State Governments would hold the key to the achievement of the objectives of the Ministry.

CHAPTER IV

FOODGRAIN MILLING INDUSTRY

Modernisation of rice mills :

1.1 Modernisation of the rice milling industry in the country was taken up in 1970 by suitably amending the Rice Milling Industry Act, 1958 with the objectives of increasing the out-turn of quality rice and producing better quality bran and husk suitable for edible oil extraction and as a source of fuel respectively. In the first phase of modernisation, shellers, sheller-cum-hullers and multiple hullers were covered. In 1977, single hullers were also brought under the purview of modernisation. However, keeping in view the various problems involved in the modernisation of single huller mills, those hullers existing as on 27th July 1984 were exempted from modernisation. This relaxation is not available to new single huller mills set up after that date, except to certain categories enumerated under the Act and the Rules made thereunder. A huller subsidy scheme to encourage modernisation of huller mills is being implemented in six States, viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal.

1.2 The progress of modernisation is reviewed periodically through the reports received from the State Governments. Due to sustained efforts made by the Government, the number of modern/modernised rice mills has gone up from practically 'nil' in 1970 to nearly 24,500.

R & D., Extension & Training :

2. Apart from legislative measures, the Government has been sponsoring various research and development activities through its two research Centres, namely, Post-harvest Technology Centre in the Indian Institute of Technology, Kharagpur (West Bengal) and Paddy Processing Research Centre, Thanjavur

(TamilNadu). In addition, extension and training work on rice mill modernisation is undertaken through a net-work of nine Regional Extension Service Centres established in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, TamilNadu, Uttar Pradesh (two centres) and West Bengal.

Grants-in-aid :

3. Grants-in-aid are being provided to various institutions in connection with the activities of modernisation of rice mills. The aid is intended mainly to promote research and development, extension and training work on modernisation of rice milling industry and better by-product utilisation. The organisations which have received grants during the year and the activities undertaken by them are briefly indicated in the following paragraphs.

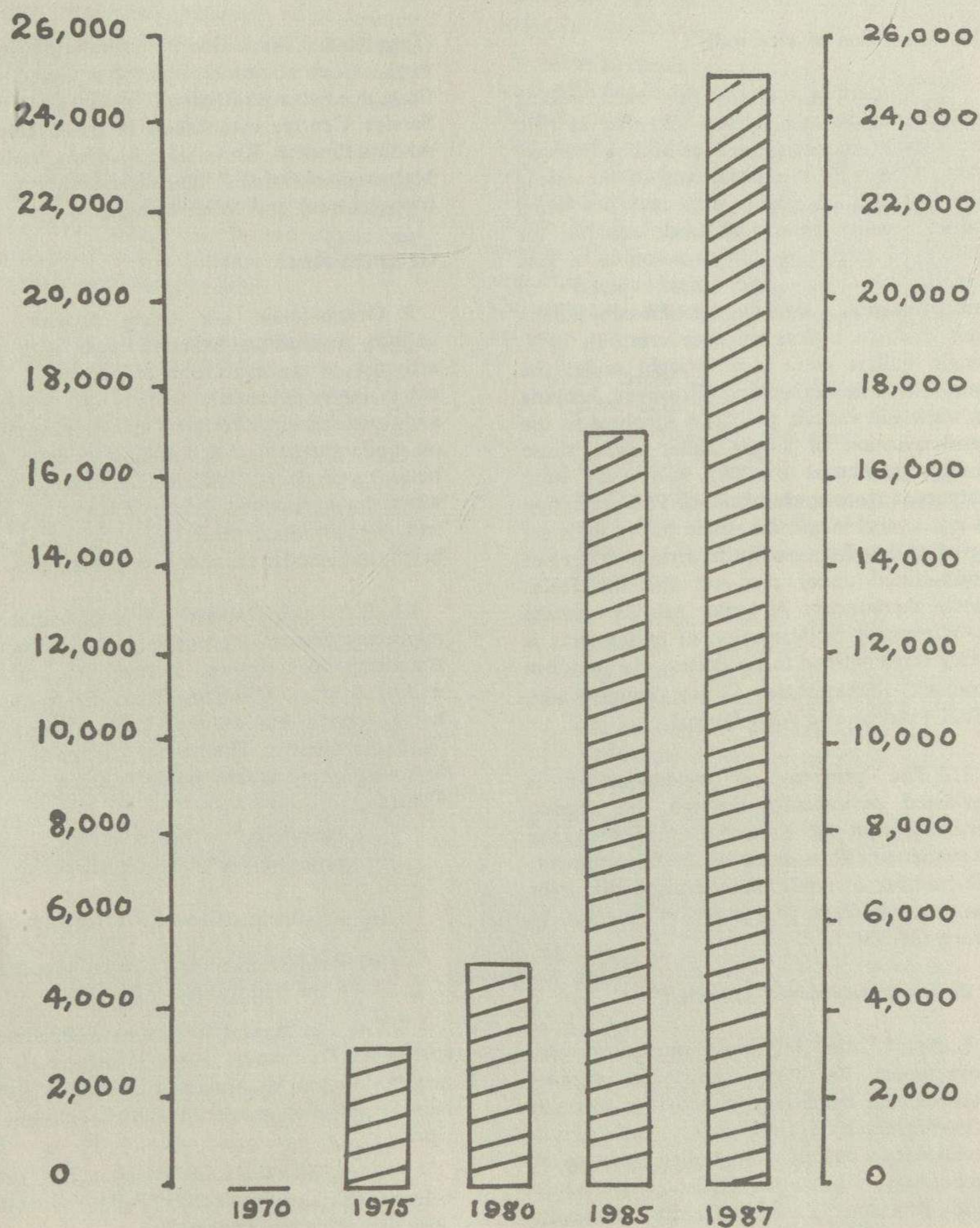
4.1 The basic research work on different applied aspects of rice processing and by-product utilisation like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being carried out at the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the following projects are being handled at the Centre :

- (i) Handling, preservation and processing of high moisture paddy.
- (ii) Production of low-FFA rice bran oil.
- (iii) Production of low-cost laundry soap from paddy husk ash.

4.2 The Centre was formed as a registered society in December, 1984. It shifted to its new building at Thanjavur in December, 1987 and is continuing its research and development work.

4.3 A grant of Rs. 20.00 lakhs has been released during 1988-89 to the Paddy Processing Research Centre, Thanjavur.

NUMBER OF RICE MILLS
MODERN/MODERNISED
(AS ON 31-3-1987)



4.4 The Post-Harvest Technology Centre at the Indian Institute of Technology, Kharagpur provides training facilities for engineers, technicians, operators, etc. in the post-harvest processing of rice and other cereal grains. It conducts M.Tech., Ph.D and Post-Doctoral courses at higher level of Post-Harvest Technology, and short-term courses in rice-milling at lower level. Special courses under the Colombo Plan and Special Commonwealth African Assistance Plan (SCAAP) are also organized for foreign nationals. At present, eight M.Tech., 18 Ph.D. and two Post-Doctoral students are undergoing training at the Centre. Three short duration courses were conducted so far under which 54 persons were given training. Besides teaching activities, the Centre is also engaged in research and development work on the engineering aspects of rice processing, by-product utilisation etc. The project on "Optimisation studies in procurement, processing, warehousing and marketing of paddy/rice in Midnapore district (West Bengal)" is in progress. Research projects are also entrusted to M.Tech. and Ph.D. scholars. Eight M.Tech and II Ph.D. projects are in progress.

4.5 A grant of Rs. 20.45 lakhs has been sanctioned to the Centre during the year.

4.6 Nine Regional Extension Service Centres have been set up so far in different paddy-growing States under the Agricultural Universities/Research institutions etc. to propagate the programmes on rice mill modernisation and better by-product utilisation through seminars, demonstration programmes, short-duration training courses, technical guidance, publicity through films, leaflets etc. These centres are financed by the Ministry for a period of five years after which they are handed over to the host organisations. These nine centres have been set up in the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil nadu, Uttar Pradesh (two centres) and West Bengal. The centres in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Uttar Pradesh (one centre) and West Bengal have been handed over to the respective host organisation after the completion of the five year period, for further continuance of their activities.

4.7 A grant of Rs. 12.00 lakhs has been released to the Centres during 1988-89.

4.8 A scheme on "modernisation of single hullers" is being implemented in six States, viz. Andhra Pradesh, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal to encourage huller modernisation. Under the scheme 300 huller-owners are provided a subsidy of Rs. 7,500 each, for the modernisation of their units. The subsidy is equally shared between the Central Government and the concerned State Governments. So far 438 hullers have been modernised in these six States. A grant/loan of Rs. 6 lakhs has been released to the Government of West Bengal for subsidising 80 units during the year.

4.9 In order to encourage production of quality rice mill and allied machinery in the country, three testing centres have been set up in the southern, eastern and northern regions of the country. These are located at Coimbatore, Kharagpur and Kanpur respectively. These centres undertake testing of rice mill machinery according to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards, suggest improvements in existing machinery, offer technical guidance to manufacturers and millers, provide training facilities in selection, operation and maintenance of machinery etc.

4.10 A grant of Rs. 2.93 lakhs has been sanctioned to the centres during the year.

Wheat roller flour milling industry :

5. The roller flour milling industry is the largest organised sector for utilisation of wheat in the country. The liberalisation policy regarding control over this industry initiated in the year 1986-87 continues. Except in respect of units located or proposed to be located within the standard urban limit of a city having a population of more than one million, or within the municipal limits of a city with population of more than 5 lakh and those covered under M.R.T.P. Act or F.E.R.A., there are now no restrictions on establishment of new roller flour mills or expansion in the capacity of the existing units. No licence is required for manufacture of wheat products.

There are no controls on price and distribution of wheat products either. Roller flour mills falling under licensed sector are permitted to grind wheat upto 150% of the licensed capacity. Even though the mills are free to obtain their

requirements of wheat from any source, wheat is sold to them by the Food Corporation of India subject to availability of stocks at the prices fixed by the Government for open sale of wheat by that Corporation.

— : oOo : —

CHAPTER V

FOOD PROCESSING INDUSTRIES

Processed foods falling under Schedule 27(5) in the First Schedule to Industries (Development & Regulation) Act have been delicensed in March 1985 for industrial undertakings which do not fall within the purview of the MRTP Act, 1969 and FERA, 1973, subject to certain conditions. These have been further delicensed in October, 1987 for MRTP/FERA companies subject to certain conditions. Since the formation of the Ministry of Food Processing Industries, all food processing industries other than milk foods, malted foods and flour (excluding items reserved for small scale sector), and all items of packaging for food processing industries (excluding the items reserved for small scale sector) have been placed in Appendix I industries.

2. The basic raw materials for the manufacture of processed foods are available indigenously. Due to phenomenal growth and expansion of the agricultural sector, the need for effectively utilising the surplus production from the sector has increased. The demand for processed foods is growing both within the country as well as in the international markets.

3. Some of the important processed food industries are ready-to-eat extruded foods, soyabean products, cocoa products and high protein foods. The status of these industries is given below briefly :—

(i) Ready-to-eat extruded foods :

At present there are five units in the organised sector with an annual installed capacity of 33,400 tonnes for the manufacture of pasta products like noodles, macaroni, vermicelli

etc. Besides, there are ten units with an annual installed capacity of 9,340 tonnes for corn flakes, oat flakes and pearl barley. The production during the last two years is as under :—

1987-88	12,612 tonnes
1988-89	13,739 tonnes
(Estimated)	

(ii) Soyabean products :

There are three units in the organised sector for the manufacture of various soya products with a total installed capacity of 3.42 lakh tonnes.

(iii) Cocoa products :

At present, there are 19 units engaged in the manufacture of cocoa products like chocolates, drinking chocolate, cocoa butter substitute and cocoa-based malted milk food with an annual capacity of 33,985 tonnes. The production during the last two years is as under :—

1987-88	8,720 tonnes
1988-89	35,855 tonnes
(Estimated)	

(iv) High protein food :

In the organised sector, there are nine units with a total annual installed capacity of 13,610 tonnes. The production during the last two years is as under :—

1987-88	7,750 tonnes
1988-89	8,137 tonnes
(Estimated)	

— : oOo : —

CHAPTER VI

FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING

Processing plays an important role in the conservation and effective utilisation of available food supply as also in the diversification of dietary habits. Besides reducing wastages/losses of food crops, it helps to raise net levels of rural incomes by generating employment opportunities in rural areas. Processing enlarges the demand base for farm products and thereby helps in stabilising farm prices and incomes. Fruit and vegetable processing is a core activity of the new Ministry of Food Processing Industries and this subject has accordingly been transferred to it from the Department of Food.

Installed capacity and utilisation

2. The present level of annual production of fruits and vegetables in the country is estimated at about 70 million tonnes, including root crop like potatoes. The total installed capacity of the fruit and vegetable processing industry has been increasing steadily over the years, and is estimated to be 5.99 lakh tonnes as at the end of December 1988. The major processed items are fruit juices and pulps, ready-to-serve fruit beverages (fruit-based drinks), canned fruits and vegetables, jams, jellies, marmalades, pickles and chutneys, preserved and candied fruits, sherbats, dehydrated vegetables and tomato products. Products like frozen vegetables, frozen pulps, freeze-dried vegetables, fruit juice concentrates, fruit bars and tomato paste have also come up.

Exports

3. During the period January to December, 1988, export of fruit and vegetable products were 49,389 tonnes valued at Rs. 59.89 crores. The major items of export were fruit juices, pulps, jams, pickles and chutneys, canned fruits and vegetables, concentrated pulps and

juices, dehydrated vegetables, frozen fruits, pulps and freeze-dried green pepper.

Regulation and Control

4.1 The Ministry administers the Fruit Products Order, 1955 (FPO) issued under the Essential Commodities Act, 1955. The Order lays down product specifications and other requirements for quality control on production and marketing of fruit and vegetable products. Labelling and marketing requirements aimed at protecting the consumer interest have also been prescribed under the Order. All factory units coming under the purview of the Order are required to obtain a licence which is granted after inspection of the premises to ensure conformity with the provisions of the Order. Periodic inspections of the factories are carried out by the technical staff of the Department in order to ensure adherence to the quality specifications and maintenance of sanitary and hygienic conditions. Samples of fruit and vegetable products are drawn from the factories as also from the market to exercise check on quality as per the specifications laid down in the Order. The total number of licensed units under the Order increased from 3,180 as on 31st March 1988 to 3,367 on 31st December 1988. During the period April to December 1988, 247 licences were granted and 60 licences cancelled. Also during the period January to March 1988, 39 licences were cancelled.

4.2 The export of fruit and vegetable products from India is regulated under the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963. The consignments of fruit product intended for export are subjected to pre-shipment inspection whereunder sample are drawn for analysis to ensure conformity with the FPO/Buyers' specifications. In-plant inspection is carried out to ensure the quality

of products in the case of fruit juices and pulps meant for export. Quality certificates are issued to the exporters in case the samples are found to be conforming to the specifications. In order to check the quality of the products before export, 22,589 samples were analysed from April-December 1988.

Financial assistance to State Governments/co-operative undertakings

5.1 The Ministry has a Plan Scheme under which financial assistance in the form of equity participation and loan is extended to the State Government/co-operative undertakings for fruit and vegetable processing on integrated basis. Under this Scheme, financial assistance to the tune of Rs. 119 lakhs (Rs.49 lakhs as equity and Rs. 70 lakhs as long-term loans) has been given to the Bihar Fruit and Vegetable Development Corporation, an undertaking of the Government of Bihar. The Corporation was incorporated by the Government of Bihar as a Government Company under the Companies Act on 8th October, 1980 with an authorised share capital of Rs. 50 lakhs, which has subsequently been increased to Rs. 2 crores. The Corporation has set up a fruit and vegetable processing plant at Hajipur,

as a part of an integrated agro-industrial complex to integrate production, processing and marketing of fruits and vegetables. The plant went into production during 1985-86. The Corporation produced 26 tonnes of tomato products, about one tonne of litchi products and 3 tonnes of *bel* nectar and *bel* pulp during April to December 1988.

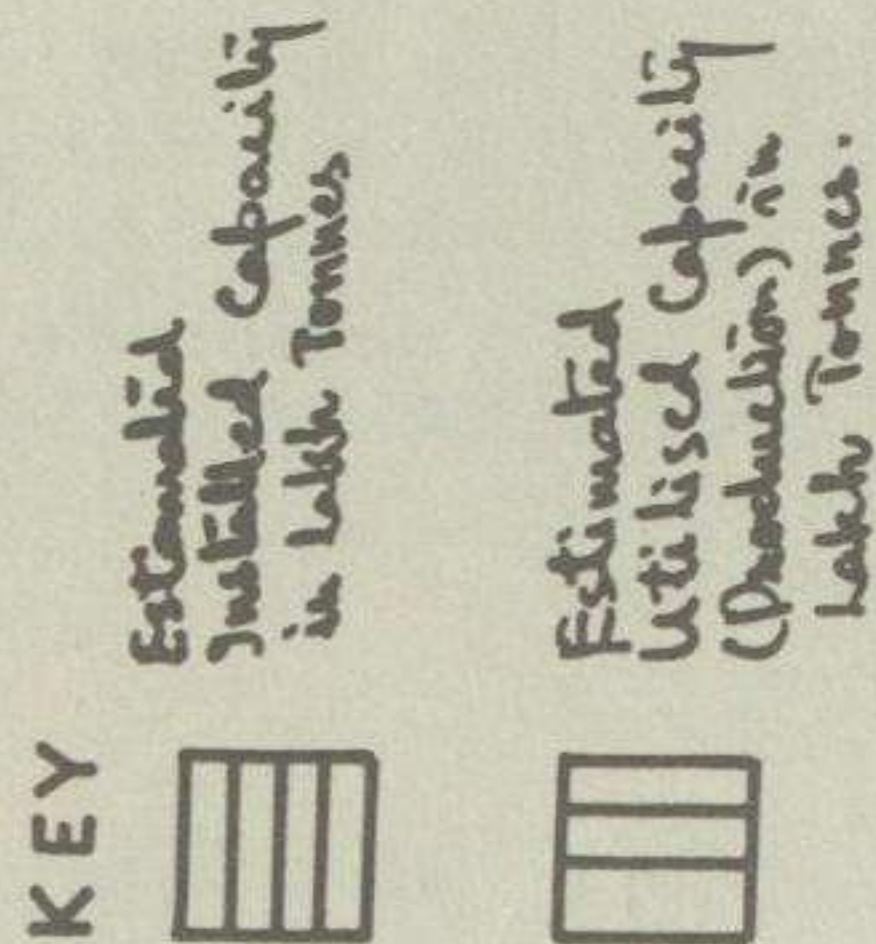
5.2 The other important activities of the Corporation include production of planting material, foundation seeds for supply to growers etc. The Corporation has established linkage with farmers for growing tomatoes. The tomatoes thus grown are brought by the Corporation at a pre-determined price.

Consultancy Services

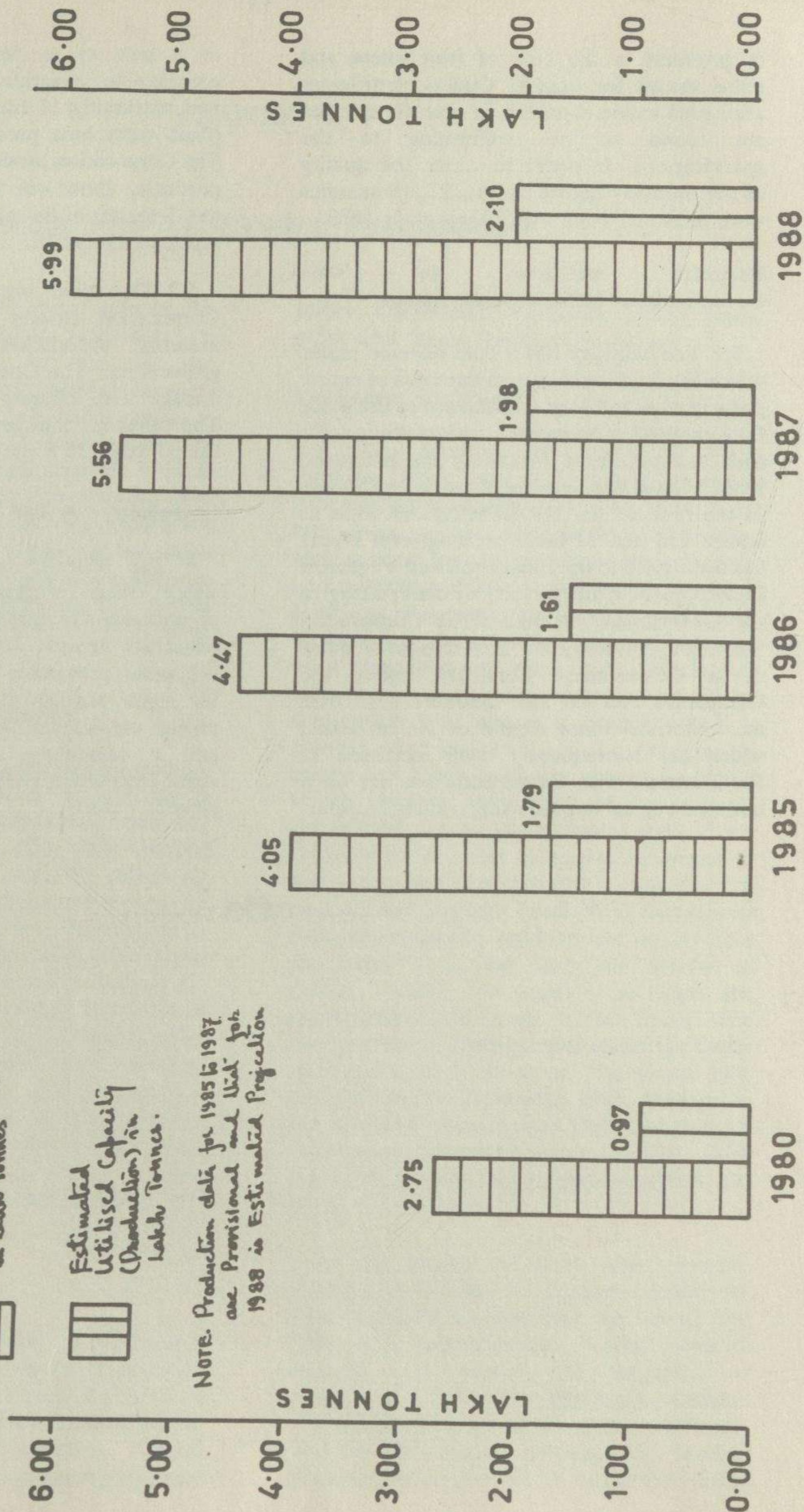
6. The Ministry has a Consultancy Cell which offers professional services for the preparation and appraisal of techno-economic feasibility reports for setting up fruit and vegetable processing units. The fee charges for these services is one per cent of the project cost subject to a minimum of Rs. 6,000 and a maximum of Rs. 25,000. During April-December, 1988, the Cell prepared three project reports.

— : oOo : —

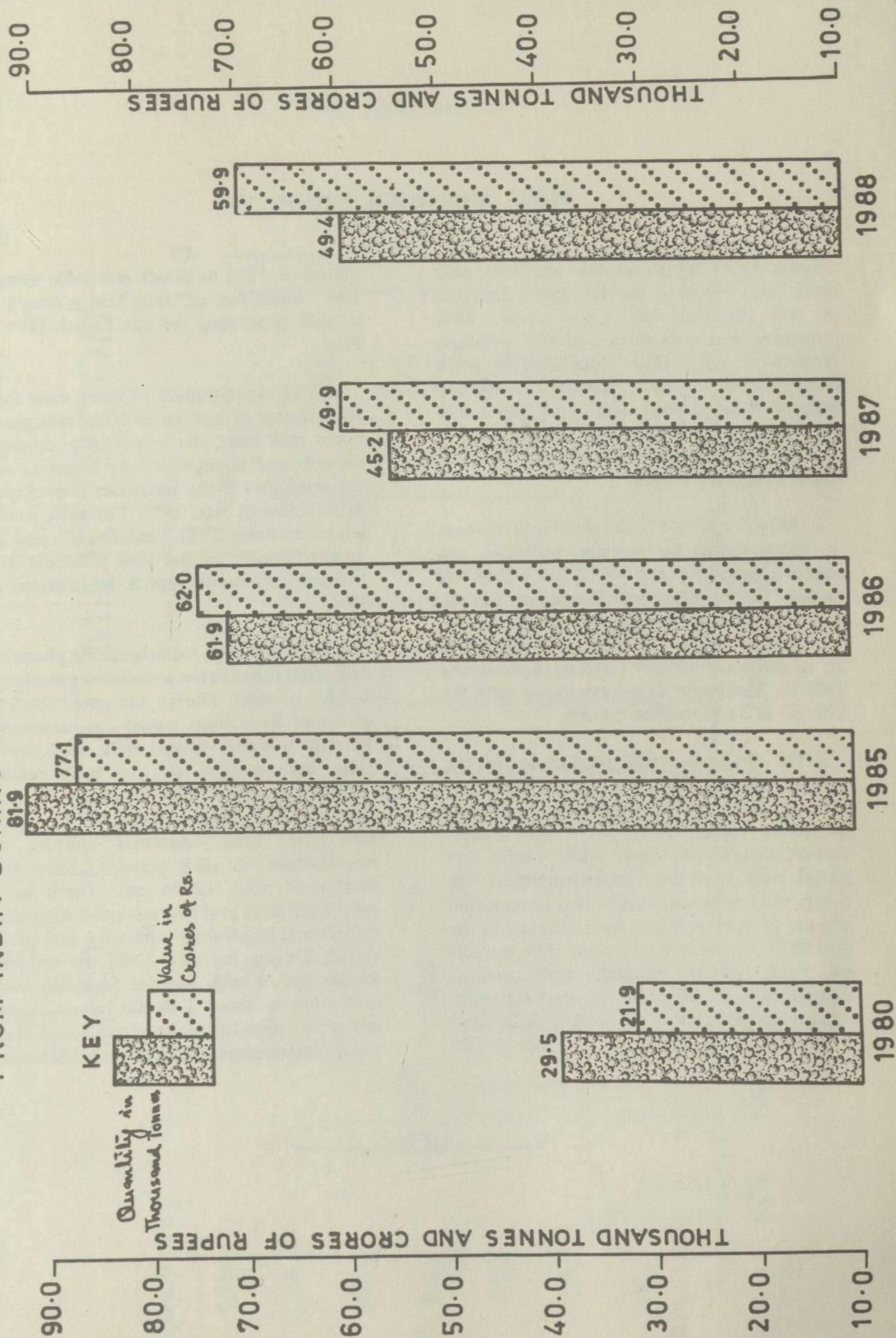
ESTIMATED INSTALLED AND UTILISED CAPACITIES OF THE F.P.O. LICENSEES FOR PRODUCTION OF FRUIT & VEGETABLE PRODUCTS DURING THE YEARS 1980 AND 1985 TO 1988



NOTE: Production data for 1985 to 1987
are Provisional and that for
1988 is Estimated Projection



PROCESSED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS EXPORTED FROM INDIA DURING THE YEARS 1980 & 1985 TO 1988.



CHAPTER VII

MILK AND MILK PRODUCTS

India ranks fourth in the world in milk production and is by far the largest producer of milk in the developing world. Milk processing and manufacture of milk products received a fillip after independence when industrialisation and public awakening warranted the establishment of organised milk collection, processing of milk in liquid form and manufacture of milk products out of disposable surplus milk.

2. Milk production in the country is seasonal in nature primarily because buffaloes are seasonal calvers. There has been a significant increase in production of milk during the last two decades. As against the production of 28.4 million tonnes in 1977-78, it has gone up to the level of 45.9 million tonnes during 1987-88. The target of production of milk for 1989-90 is 51.00 million tonnes.

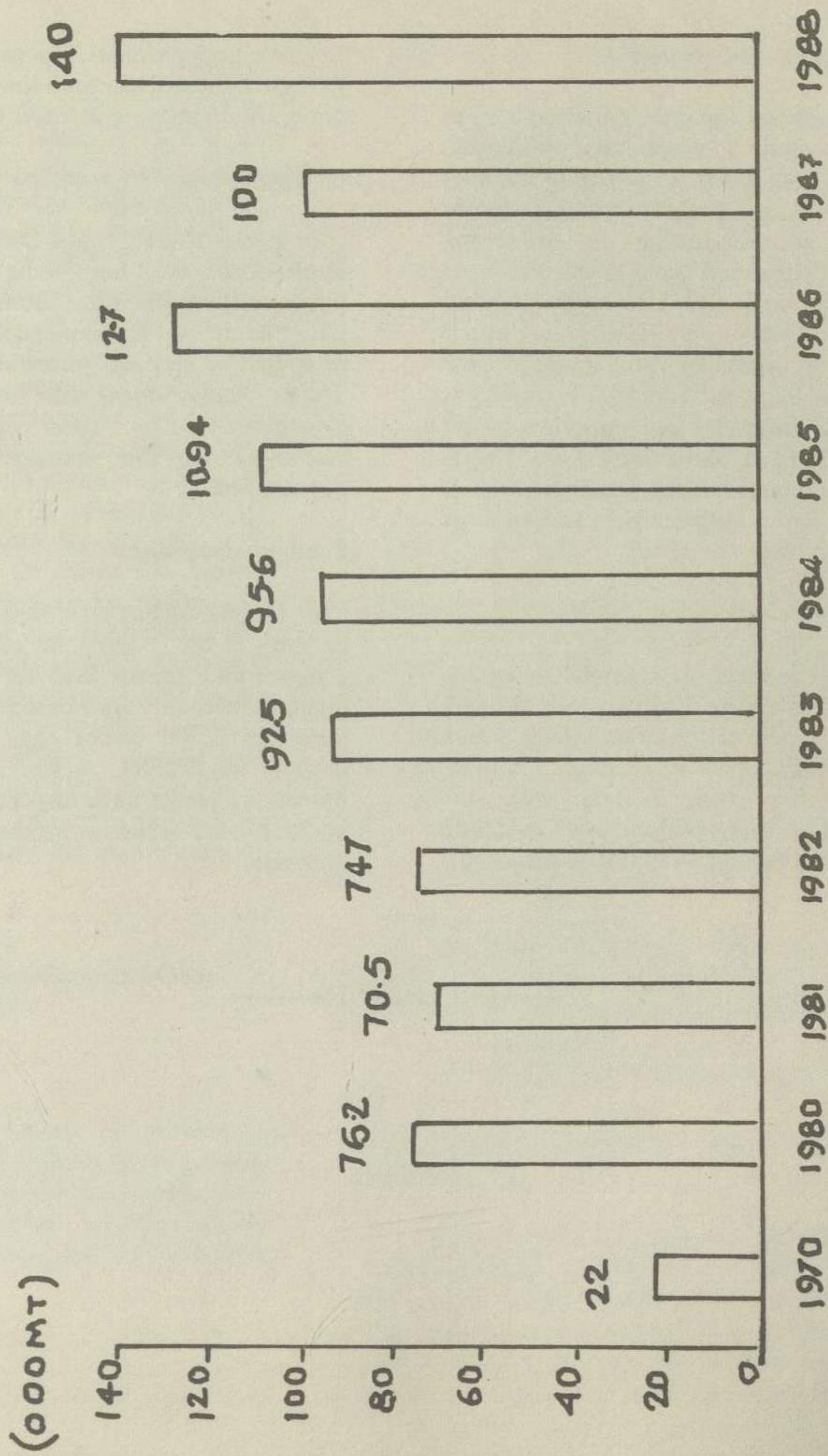
3. Of the total milk production in the country, an estimated 30% is converted into milk products, of which ghee alone accounts for 85%. About thirty years ago, butter, cheese, infant milk food, milk powder and malted milk food used to be imported. The trend was reversed when the commercial imports of milk products were stopped in the year 1975-76. Only gifted skim milk powder and butter oil are generally now received through bilateral aid under 'Operation Flood'. Indigenous production of milk powder and infant milk food has gone up from 22,000

tonnes in 1970 to about one lakh tonnes in 1987, which has certainly laid a strong base in milk processing for the Eighth Five-Year Plan.

4. The establishment of dairy units for the manufacture of milk products like milk powder, infant milk food, condensed milk, cheese and malted food is regulated by licensing under the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. The milk products fall under items 27(2) "milkfoods", and 27(3) "malted foods" of the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.

5. Milk products manufacturing plants have been established in the areas having marketable surplus of milk. During the year, six letters of intent have been issued for manufacture of milk powder, malted milk food, butter, ghee and yoghurt etc. to milk products manufacturing units in the co-operative sector. Further, four letters of intent have been converted into industrial licence for manufacture of milk powder, baby food, condensed milk, casein etc. There are at present 83 milk products manufacturing plants established in public/co-operative and private sector. During the year 1988, the estimated production of milk powder including infant milk food is about 1,40,000 tonnes, malted milk food including malted food about 32,000 tonnes and condensed milk about 6,100 tonnes.

INDIGENOUS PRODUCTION OF MILK POWDER AND INFANT MILK FOOD



CHAPTER VIII

MEAT AND MEAT PRODUCTS

Meat production and processing

The demand for internal consumption as well as for export of clean and wholesome meat and meat products is increasing steadily. To meet this demand, the Ministry proposes to improve and modernise the processing facilities for meat and meat products. Such modernisation is faced with twin problems of limited availability of slaughter house machinery and equipment and modern meat processing plants in the country. To augment the supply of machinery and equipment a view has been taken to allow import on liberal terms until indigenous supply is increased. It is also proposed to augment the modern meat processing facilities.

Bacon and pork processing

2. Eight bacon factories and pork processing plants were established during the Fourth Five-Year Plan in Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Punjab, Bihar, Rajasthan and Kerala with the objectives of ensuring remunerative prices to pig growers and making available to consumers

hygienic pork products. The capacity utilisation in these factories has been low and suggestions aimed at improving it have been made.

Slaughter house by-products

3. It was observed that the slaughter house by-products are not being collected and processed properly in the country. The Ministry has, therefore, recommended strengthening of animal by-products centre at Bapne, District Thane (Maharashtra) with foreign assistance. Strengthening of such centres situated elsewhere in the country will also be encouraged.

Poultry processing

4. During the last three decades, the poultry industry in the country has made tremendous progress and grown into an organized and highly productive agro-based industry. It has produced 1,700 crores eggs and 12 crores broilers in 1988-89. A few modern poultry processing plants have also come up recently in the private sector to produce poultry meat products.

— : oOo : —

CHAPTER IX

FISHING AND FISHERIES BEYOND TERRITORIAL WATERS

Deep sea fishing :

As early as 1977 the Government had declared 200 nautical miles as Exclusive Economic Zone (EEZ) which had opened vast vistas for development of marine fisheries. In order to exploit the living resources from 2.02 million square km of EEZ, Government is encouraging introduction of deep sea fishing vessels. The introduction of deep sea fishing vessels (20 meters and above overall length) is made through import, indigenous construction and chartering of foreign fishing vessels. The total number of deep sea fishing vessels now operating on ownership basis in the EEZ is 153. Further 55 vessels are being constructed at Indian and foreign shipyards for Indian companies. Of these, five vessels are expected to be delivered by Indian and foreign shipyards during January-March 1989. The Shipping Credit and Investment Company of India (SCICI) provides loans for the entire project including cost of the vessels, operating cost and other pre-operative expenditures. The present policy of the Government is to encourage acquisition of resource specific vessels, as detailed below, for exploitation of non-shrimp resources.

- (i) Tuna long liner
- (ii) Pole and line vessel for tuna fishing
- (iii) Tuna Purse-seiner
- (iv) Squid Jigger
- (v) Stern trawler

During 1988-89, 41 letters of permission involving 87 deep sea fishing vessels were issued. Fifteen deep sea fishing vessels, both imported and indigenous, have been introduced during the year in Indian waters by Indian companies.

Charter Policy :

2.1 The charter policy of the Government

of India has the following objectives :

- (i) To establish the abundance and distribution of fishery resources in deep seas in the Indian Exclusive Economic Zone ;
- (ii) To assess suitable craft and gear for economic operation ;
- (iii) To achieve transfer of technology ;
- (iv) To enlarge deep sea fishing fleet on ownership basis; and
- (v) To establish overseas market for non-conventional fish.

2.2 The charter policy of the Government is governed by the provisions of the Maritime Zones of India (Regulation of Fishing by foreign vessels) Act, 1981 and the rules framed in 1982. The enactment of this legislation attained the following two objectives :

- (i) It helped in curtailing incidents of poaching by unauthorised foreign fishing vessels ; and
- (ii) It regulated the operation of foreign chartered vessels in areas which did not come into conflict with the traditional sector and the mechanised boat operations.

2.3 Some improvements made in the 1986 policy are :—

- (i) The total duration of charter will be for two years as against three years earlier, but initially charter permit will be issued for one year only. Before the end of the first year of charter, the charterer will be required to submit a concrete proposal either for the

establishment of joint venture collaboration in deep sea fishing or for acquisition of vessels of similar types and specification as operated under charter within a stipulated time. This will give more opportunity to the charterer for his permanent involvement in deep sea fishing.

(ii) During charter period, the Indian Company should get a minimum share of 20 per cent of the catch value out of the charter operation at prevailing international market price instead of 15 per cent due under the old policy. Foreign exchange earning will thereby increase.

(iii) Twenty-five percent of the crew as against 20 per cent earlier are to be Indian citizens to be posted as under-studies to the foreign skipper, the engineer and other operational crew.

(iv) Only specialised and resource specific vessels will be permitted as against bull trawlers under the old policy.

2.4 Presently, 33 foreign chartered deep sea fishing vessels are in operation. The total foreign exchange earned by the operation of chartered fishing vessels for the last three years was US \$ 8.5 lakhs, 14.3 lakhs and 13.2 lakhs respectively.

Fishery Survey of India (FSI), Bombay :

3.1 Fishery Survey of India with its headquarters at Bombay and four zonal bases at Mormugao, Cochin, Madras and Visakhapatnam and other smaller bases at Porbandar, Bombay and Port Blair is engaged in exploratory survey of marine fishery potential in our Exclusive Economic Zone. FSI has ten large survey vessels and seven medium-sized vessels capable of conducting exploratory survey by demersal trawling, purse seining, tuna long lining and squid jigging. An area of 53,370 sq km has been surveyed by demersal trawling.

3.2 FSI conducted a National Workshop on "Fishery Resources Data and the Fishing Industry", the first of its kind, for the benefit of deep sea fishing industry.

3.3 The work of FSI has benefitted all maritime States and the fishing industry for effective exploitation of the marine fishery resources, especially the tuna resources, deep sea lobsters, squids and cuttle fish, etc. which are of high value and export potential next to the shrimps.

— : oOo : —

CHAPTER X

PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

Modern Food Industries (India) Ltd.

Modern Food Industries (India) Limited was incorporated in 1965 under the name of Modern Bakeries (India) Ltd. as a Government Company. The present name was adopted in November, 1982 in order to reflect its diversified activities.

2. Capital structure :

The authorised share capital of the Company is Rs. 6 crores. The paid up capital as on 31st March 1988 was Rs. 4.67 crores. The outstanding loans repayable by the Company to the Government stood at Rs. 2.04 crores as on 31st March 1988 as against Rs. 2.19 crores a year ago.

3. Physical performance :

3.1 Bread :

The Company continued to market different varieties of bread like white sandwich bread, sweet bread, milk bread, fruity and special bread for nutritional programmes produced at its thirteen bread manufacturing units located at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kanpur, Madras and Ranchi. The total sale of bread during the period April to December 1988 was 13.13 crore standard loaves as compared to 13.47 crore standard loaves during the corresponding period of last year. The commercial sale of bread during the same period was 11.04 crore standard loaves as against 11.30 crore standard loaves during the corresponding period of last year. Sale of bread for nutritional feeding

programmes was 2.09 crores standard loaves as against 2.17 crore standard loaves during the same period of last year.

3.2 Beverages :

3.2.1 The fruit juice bottling plant at Delhi continues to produce and market 'Rasika' fruit juices and drinks in bottles and through mobile vans and vending machines. The sale of 'Rasika' during April-December 1988 was 3.08 lakh crates (of 24 bottles each).

3.2.2 The Company is producing and marketing soft drink concentrates to its franchised bottlers located in different parts of the country. The bottlers are producing and marketing aerated soft drinks under the Company's brand name of 'Double Seven' cola, 'Double Seven' orange and 'Tingler' (lime-lemon drink). The total sales of concentrates during the period April-December 1988 was 1,528 units (10 kg each). The Company has been trying to enlist new bottlers in different parts of the country which would enable it to increase its sale and market share. It has also awarded franchise rights for bottling 'Rasika' to boost its sales. The franchise holder at Meerut has started production of 'Rasika' in May 1988.

3.3 Edible oil plant, Ujjain :

During the period April-December 1988, the oil plant processed 5,017 tonnes of raw materials in the solvent and refinery sections as compared to 4,149 tonnes during the corresponding period of the previous year.

3.4 Extruder food unit, Jaipur :

The unit produced and supplied 1,098 tonnes

of extruded food during April-December 1988 as compared to 1,185 tonnes during the corresponding period of last year to the various feeding programmes of the Government of Rajasthan.

3.5 Roller flour mill at Faridabad :

The Company converted the maize mill into a roller flour mill which became operative from December 1987. Due to power problem in Faridabad area, the mill could not be operated on full load. A generator has been installed to overcome the problem. During April-December 1988, the mill produced 3,311 tonnes of maida, atta and bran. The mill meets partially the maida requirement of the Company's bread-making units.

3.6 Fruit processing unit, Bhagalpur :

There was no production of pulp during April-December 1988 due to labour problems and heavy inventory of fruit pulp produced during the previous year. The unit does not have an effluent treatment plant which is necessary for taking up regular production. Installation of the treatment plant has been held up for lack of drainage system in the Industrial Estate area, where the factory is located.

4. Financial performance :

Turnover :

The turnover of the Company during April-December 1988 was Rs. 32.31 crores. The total sales turnover of the Company during 1987-88 increased to Rs. 45.91 crores from Rs. 41.68 crores in 1986-87.

4.2 Profit and dividend :

The Company earned a pre-tax profit of Rs. 110.07 lakhs during 1987-88. For the year 1987-88, the Company paid dividend to its share-holders at the rate of 5%.

5. New projects :

The first additional line to the existing three production lines in the bread unit at Delhi was commissioned on 22nd November, 1988. Two more bread-making lines are expected to be installed in a phased manner and commissioned by the end of 1989 and 1990. The Company is setting up a pine-apple juice concentrate plant at Silchar in Assam at an estimated cost of Rs. 2.42 crores. The Company proposes to set up a Poshahar plant at Udaipur.

North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.

1. The North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd. (NERAMAC) was incorporated in March, 1982 as a Government Company with its headquarters at Guwahati. The authorised share capital of the Company is Rs. 5 crores. The main objective of the Company is to undertake marketing and processing of fruits and vegetables grown in the north eastern region and thereby to foster the development of the region.

2. The first major fruit processing project, namely, a fruit juice concentrate plant in Tripura set up at a cost of about Rs. 360 lakhs was commissioned on 10th June 1988. The plant has an installed capacity to process 48 tonnes of pineapple or oranges per day. During the main season (summer) of 1988, the unit produced 36 tonnes of pineapple concentrate.

3. Upto the end of December 1988, the Company marketed about 10 tonnes of citronella oil, 10.3 tonnes of ginger, 385.6 tonnes of mustard oil cake, 1.1 tonnes of aromatic products and small quantities of horticultural/agricultural products.

Bihar Fruit and Vegetable Development Corporation Ltd.

The Bihar Fruit and Vegetable Development Corporation Ltd., an undertaking of the

Government of Bihar, has set up a fruit and vegetable processing plant at Hazipur, as a part of an integrated agro-industrial complex. The plant commenced production during

1985-86. The Central Government has extended financial assistance to the tune of Rs.119 lakhs to the Corporation (Rs.49 lakhs as equity and Rs.70 lakhs as long-term loan).

— : oOo : —

